

नाबार्ड का समेकित तुलन-पत्र, लाभ और हानि लेखा, और नकदी प्रवाह वार्षिक लेखे 2022-23

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति
निदेशक मंडल
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

हमने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ('धारक बैंक' या 'नाबार्ड') और उसकी 7 (सात) सहायक संस्थाओं (धारक बैंक और उसकी सहायक संस्थाओं को संयुक्त रूप से 'समूह' कहा गया है) के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च 2023 की स्थिति में समेकित तुलन-पत्र और उसी तिथि को समाप्त वर्ष के समेकित लाभ और हानि लेखों और समेकित नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश और अन्य स्पष्टीकरणमूलक सूचनाओं सहित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ शामिल हैं ('समेकित वित्तीय विवरण' अथवा 'सीएफएस').

हमारे मत में और हमें प्राप्त सर्वोत्तम सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उल्लिखित समेकित किए गए वित्तीय विवरण पूर्ण और निष्पक्ष वित्तीय विवरण हैं जिनमें सभी आवश्यक ब्यौरे शामिल किए गए हैं और इसे समुचित रूप से तैयार किया गया है ताकि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक (अतिरिक्त) सामान्य नियम, 1984 और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा अधिसूचित लेखा मानकों के अनुरूप तथा आम तौर पर भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च 2023 की यथास्थिति बैंक के कामकाज की स्थिति और उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसके समेकित लाभों और इसके नकदी प्रवाह की वास्तविक और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत की जा सके।

अभिमत का आधार

हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों का और अधिक विवरण हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा वाले खंड में लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों में दिया गया है। इन मानकों के अनुसार यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें। आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार हम बैंक से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसरण में अपनी नैतिक जिम्मेदारियाँ पूरी की हैं। हमारा विश्वास है कि जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किए हैं वे हमारे अभिमत को आधार देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

1. समेकित वित्तीय विवरणों के नोट संख्या अ-19 से अनुसूची 18 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न अनिश्चितताओं और 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए धारक बैंक के प्रबंधन द्वारा अपने परिचालनों और वित्तीय रिपोर्टिंग का आकलन किया गया है। प्रबंधन द्वारा किया गया यह आकलन और महामारी के परिणाम परिस्थितियों पर निर्भर होते हैं जिनमें समय के साथ और बदलाव आते हैं।
2. अनुसूची 18 में महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के नोट संख्या अ-2 "समेकन के आधार" पर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जो सहायक संस्थाओं पर लागू खातों पर कुछ नोटों से संबंधित हैं जिन्हें यहाँ समेकित नहीं किया गया है। इस संबंध में हमारी रिपोर्ट को संशोधित नहीं किया गया है।
3. समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के नोट संख्या आ.22 पर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो पिछले वर्ष हेतु आयकर की धनवापसी (रिफंड) के रूप में प्राप्त ₹ 358.28 करोड़ की राशि के समायोजन से संबंधित है। उपर्युक्त मदों के संबंध में हमारी रिपोर्ट में संशोधन नहीं किया गया है।

लेखापरीक्षा की प्रमुख मद्दे

हमारे व्यावसायिक मत के अनुसार लेखापरीक्षा की प्रमुख मद्दे वे हैं जो वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थीं. इन मद्दों पर समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में समग्र आधार पर

विचार किया गया है और उन पर अपने अभिमत पर पहुँचने में हम प्रमुख लेखापरीक्षा मद्दों पर अलग अभिमत नहीं देते हैं. अपने व्यावसायिक मत में हमारी रिपोर्ट में सूचित करने के लिए हमने निम्नलिखित को महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मद्दों के रूप में लेने का निर्णय लिया है:

धारक बैंक की प्रमुख लेखापरीक्षा मद्दों का विवरण	मद्दों की लेखापरीक्षा पद्धतियाँ
<p>बहुसंख्य आईटी प्रणालियाँ :</p> <p>प्रतिदिन प्रोसेस किए जाने वाले लेनदेनों की बड़ी संख्या को देखते हुए बैंक बहुसंख्य और पृथक सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणालियों पर निर्भर है. लेखापरीक्षा पद्धति व्यापक रूप से इन आईटी प्रणालियों के इंटरफेस के माध्यम से जेनेरेट की गई अनेक रिपोर्टों तथा उनमें अंतर्निहित स्वचालित नियंत्रणों पर निर्भर करती है.</p> <p>वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रक्रिया से संबंधित प्रमुख आईटी प्रणालियों में निम्नलिखित शामिल हैं :</p> <ul style="list-style-type: none"> • सीएलएमएस – लेनदेनों की प्रोसेसिंग, कार्य प्रवाह और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली. • टीएलएमएस – ट्रेजरी परिचालन • एम्पावर एचआरएमएस – मानव संसाधन और वेतन-पत्रक • एफएमएस – संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और व्ययों की प्रोसेसिंग • उक्त में से एक या अधिक प्रणालियों के इंटरफेस/इंटरप्ले से रिपोर्टें तैयार या जेनेरेट करना. <p>एप्लीकेशनों और अंतर्निहित डाटा में परिवर्तन उपयुक्त तरीके से किए गए हैं यह सुनिश्चित करने के लिए आईटी सामान्य और एप्लीकेशन नियंत्रण महत्वपूर्ण हैं. पर्याप्त नियंत्रण रहने से एप्लीकेशनों और डाटा में परिवर्तनों के कारण होने वाली संभावित धोखाधड़ी या त्रुटियों के जोखिम को कम करने में मदद मिलती है.</p> <p>बैंक का प्रबंधन कई सुधारात्मक गतिविधियाँ संचालित करता है और उनके कार्यान्वयन को बेहतर बनाने की प्रक्रिया में है जिनसे यह लक्षित है कि वे वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में आईटी एप्लीकेशनों का जोखिम कम करेंगे.</p> <p>इनमें महत्वपूर्ण एप्लीकेशनों और आधारभूत संरचनाओं के लिए निवारक और अन्वेषक नियंत्रणों का कार्यान्वयन शामिल है.</p> <p>इसकी व्यापक प्रकृति के कारण अपने आरंभिक जोखिम मूल्यांकन में हमने प्रौद्योगिकी से जेनेरेट होने वाले किसी बड़े गलत विवरण को लेखापरीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए लेखापरीक्षा की आयोजना की, इसीलिए 'लेखापरीक्षा संबंधी प्रमुख मद्दे' का उल्लेख किया गया है.</p>	<p>धारक बैंक के एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए हमने कई लेखापरीक्षा पद्धतियाँ अपनाईं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:</p> <p>जून 2021 तथा दिसंबर 2021 को समाप्त छमाही के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए विश्वसनीय आधार माने जाने वाले एप्लीकेशनों, परिचालन प्रणालियों और डाटाबेस तक पहुँच के अधिकार सहित आईटी प्रणालियों के सामान्य नियंत्रणों की सनदी लेखाकारों की स्वतंत्र फर्म द्वारा आईएस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा.</p> <p>हमारी लेखापरीक्षा में निम्नलिखित को शामिल किया गया:</p> <ul style="list-style-type: none"> • हमारी लेखापरीक्षा के दौरान बैंक के आईटी नियंत्रण वातावरण और लेखापरीक्षा की दृष्टि से संगत माने गए परिवर्तनों को समझना; • चयन के आधार पर ब्याज की गणना और परिपक्वता तिथियों की पुनर्गणना की गई; • चयन के आधार पर मास्टर्स अपडेशन, परिणामी रिपोर्टों के साथ इंटरफेस का पुनर्मूल्यांकन किया गया; • चयन के आधार पर टीएलएमएस, एम्पावर और वर्कफ्लो जैसी अन्य आईटी प्रणालियों के साथ सीएलएमएस के इंटरफेस की जांच की गई; • लेखा प्रणाली में गलत सिस्टम प्रविष्टियाँ पोस्ट होने की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, उपयुक्त स्पष्टीकरण और अभ्यावेदन प्राप्त करने के लिए और ऐसी प्रविष्टियों के संबंध में 'रूट कॉज़ एनालिसिस' की पर्याप्त जांच की गई तथा नियंत्रण की कमी के बारे में विस्तृत पूछताछ की गई. • मुख्य वित्तीय रिपोर्टिंग मामलों के लिए सिस्टम से जेनेरेट की गई रिपोर्ट और लेखा प्रविष्टियों का मैनुअल परीक्षण किया गया (अर्थात कंप्यूटर सिस्टम के सभी पहलुओं से सत्यापन), ताकि लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई गलत प्रविष्टियों को सुधारा जा सके. • सिस्टम में गलत प्रविष्टि से बचने, अधिक उपयोगी सिस्टम जेनेरेटेड रिपोर्टें प्राप्त करने और सिस्टम में अधिक फीचर्स/ फिलड्स को शामिल करने के उद्देश्य से सीएलएमएस 2.0 तैयार किया जा रहा है.

समेकित वित्तीय विवरणों से इतर सूचना और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

अन्य सूचनाओं को तैयार करने का दायित्व धारक बैंक के प्रबंधन और निदेशक मण्डल का है जिसमें निदेशक मण्डल की रिपोर्ट और धारक बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल अन्य प्रकटन शामिल है. वित्तीय विवरण और उनपर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (अन्य सूचना) शामिल नहीं हैं.

अन्य सूचना हमें लेखापरीक्षकों की इस रिपोर्ट की तिथि के बाद उपलब्ध कराए जाने की आशा है. समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत में अन्य सूचना शामिल नहीं है और उस पर हमने किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन अथवा निष्कर्ष व्यक्त नहीं किया है.

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में हमारा दायित्व यह है कि जब हमें अन्य सूचना उपलब्ध कराई जाए तो हम उस सूचना को पढ़ें और ऐसा करते समय यह देखें कि अन्य सूचना समेकित किए गए वित्तीय विवरणों से या लेखापरीक्षा के दौरान हमें प्राप्त हुई जानकारी से किसी महत्वपूर्ण मामले में असंगत तो नहीं है या उसमें अन्यथा कोई महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति तो नहीं दिखती. जब हम अन्य सूचना पढ़ते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उसमें कोई महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति है तो हमसे यह अपेक्षित है कि हम एसए 720 'अन्य सूचना के संबंध में लेखापरीक्षक के दायित्व' की अपेक्षा के अनुसार इस विषय को अभिशासन के प्रभारियों को संप्रेषित करें.



समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का दायित्व

धारक बैंक के प्रबंधन का दायित्व है कि वह राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (अतिरिक्त) सामान्य विनियमावली, 1984 के अनुसार इन समेकित वित्तीय विवरणों को इस प्रकार तैयार करे कि वे समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन और समेकित नकदी प्रवाह का वास्तविक और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हों। इन दायित्वों में समूह की आस्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रखरखाव; उचित लेखा नीतियों का चयन और उनका कार्यान्वयन तथा उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और आकलन शामिल हैं। इसके अलावा, इन दायित्वों में लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करना, उनका कार्यान्वयन तथा रखरखाव करना शामिल है जो समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुतीकरण के लिए प्रासंगिक हैं। ये वित्तीय विवरण ऐसे होने चाहिए जो वास्तविक और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हों और किसी महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति से मुक्त हों - फिर चाहे वह दुष्प्रस्तुति त्रुटिवश हो, या किसी धोखाधड़ी के कारण।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय धारक बैंक और समूह में शामिल संस्थाओं के संबंधित निदेशक मंडल निरंतर चलने वाली संस्थाओं के रूप में जारी रहने की समूह की क्षमता का आकलन करने, निरंतर चलने वाली संस्था से संबंधित मामलों में यथालागू मदों का प्रकटन करने और प्रबंधन द्वारा समूह को परिसमाप्त करने या परिचालनों को बंद करने की मंशा रखने या ऐसा करने के अलावा और कोई व्यावहारिक विकल्प न होने की स्थितियों को छोड़कर 'निरंतर चलने वाली संस्था' के आधार का प्रयोग करके लेखांकन करने लिए जिम्मेदार हैं।

धारक बैंक और समूह में शामिल कंपनियों के निदेशक मंडल उनकी वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण के लिए भी जिम्मेदार हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारा उद्देश्य है एक लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारा अभिमत शामिल हो और इस बात का तर्काधारित आश्वासन प्राप्त करना कि समेकित किए गए वित्तीय

विवरण समग्रतः धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण होने वाले किसी महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति से मुक्त हैं। तर्काधारित आश्वासन उच्च स्तरीय आश्वासन है लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखामानकों के अनुसार संचालित लेखापरीक्षा किसी विद्यमान महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति का पता हमेशा लगा ही लेगी। दुष्प्रस्तुतियाँ धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण उत्पन्न हो सकती हैं और उन्हें महत्वपूर्ण तब माना जाता है जब वे एकल रूप से या समग्रतः इन समेकित विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए जाने वाले आर्थिक निर्णयों को एक तर्कपूर्ण सीमा तक प्रभावित कर सकती हों। इस रिपोर्ट के अनुबंध 1 में लेखा मानकों के अनुरूप हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया का विवरण दिया गया है।

अन्य मदें

इन वित्तीय विवरणों में धारक बैंक के प्रधान कार्यालय सहित धारक बैंक के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों और 2 स्टाफ कॉलेजों की विवरणियाँ शामिल हैं जिनका हमने लेखापरीक्षा के प्रयोजन से दौरा किया, जिनका बैंक के अग्रिमों में 88.47%, जमाओं में 100.00%, ब्याज आय में 90.18% और ब्याज व्यय तथा धारक बैंक के जिन अन्य कार्यालयों में हमने दौरा नहीं किया, उनके प्रतिलाभ में 100.00% हिस्सा था। धारक बैंक के इन कार्यालयों और स्टाफ कॉलेज का चयन बैंक के प्रबंधन के परामर्श से किया गया था। धारक बैंक के शेष कार्यालयों का हमने दौरा नहीं किया, किंतु प्रधान कार्यालय को भेजी गई उनकी विवरणियों की समीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों में शामिल सात सहायक संस्थाओं के वित्तीय विवरणों के मामले में हम उनके लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को आधार बनाया है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

हम रिपोर्ट करते हैं कि धारक बैंक द्वारा समेकित वित्तीय विवरण लेखा मानक (एएस) 21 - 'समेकित वित्तीय विवरण' के अनुसार तैयार किए गए हैं। हमें उपलब्ध कराई गई सूचना और व्याख्या के अनुसार और हमारे मत में समेकित वित्तीय विवरण में सभी प्रकार से लागू लेखा मानकों का अनुपालन किया गया है।

कृते एमकेपीएस एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म की पंजीकरण सं 302014E

सीए वासुदेव सुंदरदास माटा

साझेदार

सदस्यता संख्या. 046953

स्थान: मुंबई

दिनांक: मई 26, 2023



स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध 1

(“समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के दायित्व”
शीर्षक पैरा 7 में संदर्भित)

लेखा मानकों के अनुसार, लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में हम पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक निर्णय क्षमता का प्रयोग करते हैं और व्यावसायिक संदेहवाद बनाए रखते हैं। साथ ही :

- हम धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति के जोखिमों की पहचान और आकलन करते हैं, उन जोखिमों के प्रतिसाद में लेखापरीक्षा कार्य पद्धतियों की रूपरेखा तैयार करते हैं और उनका कार्यान्वयन करते हैं और महत्वपूर्ण मदों के लिए ऐसा लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो अभिमत के लिए आधार प्रदान करने की दृष्टि से पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से बड़ा होता है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, गलत मंशा से उपेक्षा करना, गलत प्रस्तुति आदि शामिल हो सकते हैं या आंतरिक नियंत्रणों की अवहेलना की गई हो सकती है।
- हम लेखापरीक्षा के लिए संगत आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं। ऐसा विद्यमान परिस्थितियों के लिए उचित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए किया जाता है न कि बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावोत्पादकता पर अपना मत व्यक्त करने के लिए।
- हम समूह के प्रबंधन द्वारा उपयोग में लाई जा रही लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों तथा संबंधित प्रकटनों के औचित्य का मूल्यांकन करते हैं।
- हम प्रबंधन द्वारा लेखांकन के ‘निरंतर चल रही संस्था’ आधार के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष व्यक्त करते हैं और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह देखते हैं कि क्या किसी ऐसी घटना या परिस्थिति से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है जो ‘निरंतर चलने वाली संस्था’ के रूप में बैंक की क्षमता पर उल्लेखनीय संदेह पैदा करती हो। अगर हमारा निष्कर्ष यह होता है कि ऐसी महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है तो हमसे यह अपेक्षित होता है कि हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में

संबंधित प्रकटनों की ओर ध्यान आकृष्ट करें, अथवा यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं, तो अपने अभिमत को आशोधित करें। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित होते हैं। तथापि भविष्यगत घटनाएँ या परिस्थितियाँ बैंक के ‘निरंतर चलने वाली संस्था’ नहीं बने रहने का कारण बन सकती हैं।

- हम प्रकटनों सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और उनमें निहित विषय-वस्तु का मूल्यांकन करते हैं और देखते हैं कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेनों और घटनाओं को इस तरह अभिव्यक्त करते हैं कि निष्पक्ष प्रस्तुति का उद्देश्य पूरा हो।
- हम अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को, अन्य बातों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा के दायरे और समय की योजना तथा उल्लेखनीय लेखापरीक्षा निष्कर्ष संप्रेषित करते हैं जिनमें आंतरिक नियंत्रण में उन महत्वपूर्ण कमियों को शामिल किया जाता है जो हमारी लेखापरीक्षा के दौरान पहचान में आती हैं। हम अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को ऐसा अभिकथन भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने अपनी निष्पक्षता को समुचित रूप से प्रभावित करने वाले माने जाने वाले सभी संबंधों तथा अन्य विषयों को उन्हें संप्रेषित करने के संबंध में, और जहाँ प्रयोजनीय हो वहाँ संबंधित रक्षोपायों के बारे में सभी संगत नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया है।
- हम अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को संप्रेषित मदों में से ऐसी मदों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण हों और इस कारण वे प्रमुख लेखापरीक्षा मदें हों। हम इन मदों को अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्णित करते हैं जब तक कि विधि या विनियम द्वारा उन मदों के बारे में सार्वजनिक प्रकटन को निषिद्ध न किया गया हो, या जब अत्यधिक विरल परिस्थितियों में हम यह तय करें कि हमें अपनी रिपोर्ट में उस मद को संप्रेषित नहीं करना चाहिए क्योंकि संप्रेषित करने से सार्वजनिक हित में संभावित लाभ ऐसे संप्रेषण के प्रतिकूल परिणामों की अपेक्षा कम होंगे।



राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक 31 मार्च 2023 की स्थिति में समेकित तुलन-पत्र

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	निधियाँ और देयताएँ	अनुसूची	31.03.2023 को	31.03.2022 को
1	पूंजी (नाबाई अधिनियम, 1981 की धारा 4 के अंतर्गत)		17,080.00	17,080.00
2	प्रारक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित निधियाँ	1	50,288.37	44,391.66
3	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण निधियाँ	2	16,102.00	16,098.00
4	उपहार, अनुदान, दान और उपकृतियाँ	3	6,711.28	6,602.27
5	सरकारी योजनाएँ	4	1,106.99	5,888.63
6	माइनोंरिटी इंटरैस्ट	1अ	247.21	204.47
7	जमाराशियाँ	5	2,78,100.87	2,52,126.69
8	बॉण्ड और डिबेंचर	6	2,46,677.25	2,30,592.70
9	उधार	7	1,64,130.89	1,63,660.12
10	वर्तमान देयताएँ और प्रावधान	8	22,411.45	21,824.84
	कुल		8,02,856.31	7,58,469.38
	विदेशी मुद्रा वायदा संविदाएँ (हेजिंग) कॉण्ट्रा के अनुसार		950.88	925.97

उक्त संदर्भित अनुसूचियाँ लेखों का अभिन्न अंग हैं।



राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक 31 मार्च 2023 की स्थिति में समेकित तुलन-पत्र

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	संपत्ति और आस्तियाँ	अनुसूची	31.03.2023 को	31.03.2022 को
1	नकद और बैंक शेष	9	16,854.99	6,073.49
2	निवेश	10	48,003.10	65,725.28
3	अग्रिम	11	7,31,891.69	6,80,882.72
4	अचल आस्तियाँ	12	543.30	566.30
5	अचल आस्तियाँ	13	5,563.23	5,221.59
	कुल		8,02,856.31	7,58,469.38
	विदेशी मुद्रा वायदा संविदाएँ (हेजिंग) कॉण्ट्रा के अनुसार		950.88	925.97
	प्रतिबद्धता और आकस्मिक देयताएँ	17		
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और लेखों पर टिप्पणियाँ	18		

उक्त संदर्भित अनुसूचियाँ लेखों का अभिन्न अंग हैं.

इसी तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एमकेपीएस एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफ़आरएन सं: 302014E

सीए वसुदेव सुंदरदास माटा
साझेदार
सदस्यता संख्या: 046953

अलोक सी जेना
मुख्य महाप्रबंधक
लेखा विभाग

मुंबई
दिनांक : 26 मई 2023

शाजी के वी
अध्यक्ष

पी वी एस सूर्यकुमार
उप प्रबंध निदेशक



राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि लेखा

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	आय	अनुसूची	2022-23	2021-22
1	ऋण और अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज		36,824.35	33,874.32
2	निवेश परिचालनों/ जमाराशियों से आय		2,658.03	3,030.53
3	अन्य प्राप्तियाँ		367.99	270.33
	कुल (अ)		39,850.37	37,175.18

क्रम. सं.	व्यय	अनुसूची	2022-23	2021-22
1	ब्याज और वित्तीय प्रभार	14	30,370.10	26,574.22
2	स्थापना और अन्य व्यय	15 अ	1,942.10	2,281.35
3	संवर्धन गतिविधियों पर व्यय	15 आ	136.75	111.88
4	प्रावधान	16	545.72	1,314.72
5	मूल्यहास		54.31	53.82
	कुल (आ)		33,048.98	30,335.99
6	आय कर से पूर्व लाभ (अ-आ)		6,801.39	6,839.19
7	पूर्व अवधि मर्दे		-	-
8	आय कर के लिए प्रावधान		1,243.22	1,675.56
9	आस्थगित कर आस्ति समायोजन (निवल) (अनुसूची-18 का नोट आ-8 देखें)		3.90	(30.85)
10	कर पश्चात् लाभ		5,554.27	5,194.48
11	माइनॉरिटी इंटेरेस्ट		43.87	15.67
12	विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ		5,510.40	5,178.81

नोट: अर्जित छूट और कमीशन को नाबाई अतिरिक्त (सामान्य) विनियम, 1984 के तहत निर्धारित प्रारूप में अपेक्षानुसार "छूट और कमीशन" शीर्ष के तहत अलग से प्रकटीकरण किए बिना ऋण और अग्रिम से प्राप्त आय या निवेश परिचालन-जमा से प्राप्त आय के संबंधित शीर्ष के तहत समूहीकृत किया गया है।

उक्त संदर्भित अनुसूचियाँ लेखों का अभिन्न अंग हैं।



राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि लेखा

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विनियोजन/ आहरण	2022-23	2021-22
1	वर्ष का लाभ - नीचे लाया गया	5,510.40	5,178.81
2	जोड़ें: लाभ और हानि खाते को नामे किए गए व्यय के समक्ष विभिन्न निधियों से आहरण (अनुसूची 1 देखें)	1,103.50	143.70
3	विनियोजन हेतु उपलब्ध कुल लाभ	6,613.90	5,322.51
	घटाएँ: निम्नलिखित में अंतरित (अनुबंध 1,2,3 देखें)		
1	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(I)(viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधि	850.00	1,065.00
2	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	1.00	1.00
3	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि	1.00	1.00
4	सहकारिता विकास निधि	33.63	130.53
5	अनुसंधान और विकास निधि	30.45	31.82
6	निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	-	1,125.00
7	उत्पादक संगठन विकास निधि	3.84	5.11
8	ग्रामीण आधारभूत संरचना संवर्धन निधि	5.34	6.23
9	कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि	28.68	22.17
10	ग्राम्य विकास निधि	61.75	46.09
11	जलवायु परिवर्तन निधि	2.53	1.75
12	उत्प्रेरक निधि	0.98	-
13	विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	5.51	5.21
14	वित्तीय समावेशन निधि	20.32	-
15	प्रौद्योगिकी सुविधा निधि	50.00	-
16	प्रारक्षित निधि	5,518.87	2,881.60
	कुल	6,613.90	5,322.51

इसी तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एमकेपीएस एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट

सीए वसुदेव सुंदरदास माटा
साझेदार
सदस्यता संख्या: 046953

आलोक सी जेना
मुख्य महाप्रबन्धक
लेखा विभाग

मुंबई
दिनांक: 26 मई 2023

शाजी के वी
अध्यक्ष

पी वी एस सूर्यकुमार
उप प्रबंध निदेशक



समेकित तुलन-पत्र की अनुसूची

समेकित अनुसूची 1 - प्रारक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित निधियाँ

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	01.04.2022 को प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	लाभ-हानि विनियोजन से अंतरित	लाभ-हानि विनियोजन को अंतरित	31.03.2023 को शेष
1	प्रारक्षित निधि*	29,063.67	(37.87)	5,965.38	0.46	34,990.72
2	अनुसंधान और विकास निधि	53.94	0.46	30.45	30.46	54.39
3	प्रारक्षित पूंजी	74.81	-	-	-	74.81
4	निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	2,822.00	-	-	936.30	1,885.70
5	सहकारिता विकास निधि	200.00	-	33.63	33.63	200.00
6	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(i) (viii) के अंतर्गत सृजित और अनुरक्षित विशेष प्रारक्षित निधि	11,600.00	-	850.00	-	12,450.00
7	उत्पादक संगठन विकास निधि	300.00	-	3.84	3.84	300.00
8	ग्रामीण आधारभूत संरचना संवर्धन निधि	50.00	-	5.34	5.34	50.00
9	कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि	60.00	-	28.68	28.68	60.00
10	ग्राम्य विकास निधि	110.00	-	61.75	61.75	110.00
11	जलवायु परिवर्तन निधि	20.00	-	2.53	2.53	20.00
12	उत्प्रेरक निधि	20.00	-	0.98	0.98	20.00
13	विकास कॉर्पस निधि	5.00	-	-	-	5.00
14	विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	12.24	-	5.51	-	17.75
15	प्रौद्योगिकी सुविधा निधि	-	50.00	-	-	50.00
	कुल	44,391.66	12.59	6,988.09	1,103.97	50,288.37
	गत वर्ष	39,639.51	(13.22)	5,320.51	555.13	44,391.66

* नोट: प्रारक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित निधियों के लिए नाबार्ड (अतिरिक्त) सामान्य विनियम, 1984 में निर्धारित प्रारूप में लाभ और हानि खाता को एक उप-मद के रूप में रखा गया है। चूंकि बैंक में प्रारक्षित निधि में सभी प्रकार के विनियोजन के बाद शेष राशि को लाभ और हानि खाते में अंतरित करने की प्रथा है, इसलिए लाभ और हानि खाते में कोई राशि शेष नहीं रहती जिसके कारण ऊपर उसका अलग से प्रकटन नहीं किया गया है।

समेकित अनुसूची 1अ - माइनोंरिटी इंटरैस्ट

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	01.04.2022 को प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान समायोजन	31.03.2023 को इति शेष
1	शेयर पूंजी	91.66	-	-	91.66
2	प्रारक्षित निधियाँ और अधिशेष	112.81	42.74	-	155.55
	कुल	204.47	42.74	-	247.21
	गत वर्ष	183.18	21.29	-	204.47



समेकित अनुसूची 2 - राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण निधियाँ

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	01.04.2022 को प्रारंभिक शेष	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अंशदान	लाभ-हानि विनियोजन से अंतरण	31.03.2023 को शेष
1	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	14,499.00	1.00	1.00	14,501.00
2	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि	1,599.00	1.00	1.00	1,601.00
	कुल	16,098.00	2.00	2.00	16,102.00
	गत वर्ष	16,094.00	2.00	2.00	16,098.00

समेकित अनुसूची 3 - उपहार, अनुदान, दान और उपकृतियाँ

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	01-04-2022 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त/समायोजित अनुदान	जमा ब्याज*	वर्ष के दौरान वितरित/समायोजित व्यय	31-03-2023 को शेष
अ.	अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्त अनुदान					
1	केएफडब्ल्यू -नाबार्ड V आदिवासी कार्यक्रम हेतु निधि	0.64	-	0.01	0.65	-
2	केएफडब्ल्यू - एनबी-यूपीएनआरएम-सहबद्ध उपाय	-	0.01	-	0.01	-
3	केएफडब्ल्यू एनबी - यूपीएनआरएम-वित्तीय अंशदान	0.15	-	-	-	0.15
4	इंडो जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम - आंध्र प्रदेश	0.70	-	0.02	-	0.72
5	इंडो जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम - गुजरात	0.03	-	-	-	0.03
6	इंडो जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम - राजस्थान	0.06	-	-	-	0.06
7	जीआईजेड यूपीएनआरएम तकनीकी सहयोग	0.03	-	-	-	0.03
8	जलवायु परिवर्तन - (एएफबी)-परियोजना तैयारी अनुदान	22.28	0.07	0.62	1.87	21.10
9	जीआईजेड मृदा परियोजना	1.41	-	-	-	1.41
10	केएफडब्ल्यू मृदा परियोजना	2.07	17.23	-	17.06	2.24
11	जीसीएफ परियोजना अनुदान	1.14	4.69	0.04	4.50	1.37
आ.	अन्य निधियाँ					
1	वाटरशेड विकास निधि	1,527.25	-	45.01	99.83	1,472.43
2	विभेदक ब्याज निधि - (विदेशी मुद्रा जोखिम)	233.60	14.90	-	17.87	230.63



क्रम. सं.	विवरण	01-04-2022 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त/समायोजित अनुदान	जमा ब्याज*	वर्ष के दौरान वितरित/समायोजित व्यय	31-03-2023 को शेष
3	विभेदक ब्याज निधि - टीएडब्ल्यूए	0.10	-	-	-	0.10
4	आदिवासी विकास निधि	5.77	-	-	-	5.77
5	जनजाति विकास निधि	1,342.13	3.27	39.24	126.03	1,258.61
6	वित्तीय समावेशन निधि (i)	2,867.10	427.79	84.98	340.83	3,039.04
7	वित्तीय समावेशन निधि - डिजिटल	8.11	-	-	8.11	-
8	पीओडीएफ-आईडी	332.67	-	9.56	49.31	292.92
9	राष्ट्रीय बैंक - स्विस् विकास सहयोग परियोजना	66.11	0.83	-	-	66.94
10	आरपीएफ और आरआईएफ -कृषीतर क्षेत्र संवर्धन निधि	18.42	6.45	-	1.60	23.27
11	सेंटर फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस इन क्रोऑपरेटिब्ज (सी-पेक)	3.13	-	0.13	-	3.26
12	एलटीआईएफ - ब्याज उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	138.22	21.80	4.15	-	164.17
13	जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि खाता	31.15	75.96	0.66	51.10	56.67
14	सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए क्षमता निर्माण निधि	-	5.00	-	-	5.00
15	जलवायु परिवर्तन निधि - आईडी (ii)	-	87.35	-	21.99	65.36
	कुल	6,602.27	665.35	184.42	740.76	6,711.28
	गत वर्ष	6,371.65	623.51	379.13	771.98	6,602.27

* अनुसूची 18 का आ-2 देखें

उक्त निधियों में जमा की गई ब्याज के अंतर की राशि पर भुगतान किया गया आय कर शामिल है :

- (i) अदा किए गए ₹ 87.94 करोड़ के आय कर सहित
- (ii) अदा किए गए ₹ 21.99 करोड़ के आय कर सहित



समेकित अनुसूची 4 - सरकारी योजनाएँ

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	01.04.2022 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	जमा ब्याज*	वर्ष के दौरान निधि से व्यय/संवितरण	31.03.2023 को शेष
अ	सरकार की सब्सिडी योजनाएँ					
1	शीतगृह परियोजनाओं के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी - एनएचबी	0.89	-	-	-	0.89
2	शीतगृह के लिए पूंजी सब्सिडी - टीएम पूर्वोत्तर	0.08	-	-	-	0.08
3	लघु उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु ऋण सहबद्ध पूंजी सब्सिडी	0.69	0.02	-	0.28	0.43
4	फसल उत्पादन हेतु ऑनफार्म जल प्रबंधन	0.07	-	-	-	0.07
5	बिहार भूगर्भ जल सिंचाई योजना (बीआईजीडब्ल्यूआईएस)	78.98	-	-	-	78.98
6	पशुधन विकास कार्यक्रम - उत्तर प्रदेश	0.03	-	-	-	0.03
7	पशुधन विकास कार्यक्रम - बिहार	0.10	-	-	-	0.10
8	राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना	1.67	-	-	(0.13)	1.80
9	समन्वित वाटरशेड विकास कार्यक्रम - राष्ट्रीय सम विकास योजना	4.29	-	-	-	4.29
10	डेयरी और पोल्ट्री उद्यम पूंजी निधि	2.16	-	-	(0.05)	2.21
11	पोल्ट्री उद्यम पूंजी निधि	0.00	-	-	(0.15)	0.15
12	आईएसएम- कृषि विपणन आधारभूत संरचना	41.01	110.57	-	137.71	13.87
13	राष्ट्रीय पशुधन मिशन - पीवीसीएफ़ ईडीईजी	79.99	-	-	(0.93)	80.92
14	पोल्ट्री एस्टेट की स्थापना हेतु केंद्र सरकार प्रायोजित योजना	0.08	-	-	-	0.08
15	गरीबी उन्मूलन हेतु बहु-गतिविधि दृष्टिकोण - सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश	0.08	-	-	-	0.08
16	गरीबी उन्मूलन हेतु बहु-गतिविधि दृष्टिकोण - बायफ - रायबरेली - उत्तर प्रदेश	0.02	-	-	-	0.02
17	डेयरी उद्यमिता विकास योजना	5.10	3.12	-	0.03	8.19
18	सौर मिशन के लिए सीएसएस	0.03	-	-	-	0.03
19	सीएसएस - जेएनएनएसएम सोलर लाइटिंग खाता	2.76	-	-	-	2.76
20	सीएसएस - सोलर फोटोवोल्टिक वाटर पंपिंग	0.03	-	-	-	0.03
21	पूंजी सब्सिडी योजना - कृषि क्लिनिक कृषि व्यवसाय केंद्र	1.56	14.48	0.01	14.30	1.75
22	सीएसएस एमएनआई लाइटिंग योजना 2016 खाता	0.11	-	-	-	0.11
23	कठोर चट्टानी क्षेत्र में कृत्रिम भूगर्भ जल पुनर्भरण	4.62	-	-	-	4.62



क्रम. सं.	विवरण	01.04.2022 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	जमा ब्याज*	वर्ष के दौरान निधि से व्यय/संवितरण	31.03.2023 को शेष
24	एफ़पीओ के गठन एवं संवर्धन पर सीएसएस	154.69	8.88	-	163.57	-
आ	अन्य सरकारी योजनाएँ					
1	कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना (एडीडब्ल्यूडीआर) 2008	283.80	-	-	0.09	283.71
2	महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) विकास निधि	27.81	0.03	-	10.69	17.15
3	प्रोड्यूस निधि	15.44	-	-	8.59	6.85
4	लाइसेंस विहीन 23 जिमस बैंकों का पुनरुद्धार	-	-	-	-	-
5	ब्याज सहायता (चीनी मीयादी ऋण)	165.10	175.00	-	259.65	80.45
6	एमआई - कार्यशाला सहायता निधि	0.02	-	-	0.01	0.01
7	कच्छ सूखा रोध परियोजना	0.22	-	-	-	0.22
8	दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना के पुनरुद्धार के लिए पैकेज (एलटीसीसीएस)	20.00	-	-	-	20.00
9	हथकरघा क्षेत्र का पुनरुद्धार, सुधार और पुनःसंरचना	3.88	-	-	-	3.88
10	व्यापक हथकरघा पैकेज	-	-	-	-	-
11	ब्याज सहायता (एसएओ, एनआरएलएम, एनडब्ल्यूआर)	4,992.82	7,986.17	95.28	12,681.68	392.59
12	अरुणाचल कृषि स्टार्ट अप योजना	0.50	-	-	-	0.50
13	केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजना-पैक्स का कंप्यूटरीकरण	-	100.00	0.14	-	100.14
	कुल	5,888.63	8,398.27	95.43	13,275.34	1,106.99
	गत वर्ष	3,485.35	11,153.63	0.01	8,750.36	5,888.63

* अनुसूची 18 का आ- 2 देखें

समेकित अनुसूची 5 - जमाराशियाँ

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
1	केन्द्र सरकार	-	-
2	राज्य सरकारें	-	-
3	अन्य	-	-
	क) चाय/ रबड़/ कॉफी जमाराशियाँ	56.90	60.50
	ख) आरआईडीएफ के अंतर्गत जमाराशियाँ	1,63,069.25	1,47,226.72
	ग) अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण निधि	50,432.08	44,541.43
	घ) अल्पावधि क्षेत्रीय बैंक ऋण पुनर्वित्त निधि	15,047.00	9,898.10
	ङ) भंडारागार आधारभूत संरचना निधि	4,050.00	5,380.00
	च) दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि	44,995.64	44,709.94
	छ) खाद्य प्रसंस्करण निधि	450.00	310.00
	कुल	2,78,100.87	2,52,126.69

समेकित अनुसूची 6 - बॉण्ड और डिबेंचर

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
1	कर मुक्त बॉण्ड (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-14 देखें)	5,000.00	5,000.00
2	गैर-प्राथमिकता क्षेत्र बॉण्ड	1,21,147.80	1,07,292.00
3	पूंजी अभिलाभ बॉण्ड	-	-
4	पीएमएवाई-जी भारत सरकार के पूर्णतः सर्विस्ड बॉण्ड	48,809.60	48,809.60
5	एलटीआईएफ बॉण्ड	38,160.25	35,931.50
6	एलटीआईएफ - भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सर्विस्ड बॉण्ड	19,506.80	19,506.80
7	एसबीएम-जी- भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सर्विस्ड बॉण्ड	12,298.20	12,298.20
8	सूक्ष्म सिंचाई निधि (एमआईएफ) बॉण्ड	1,754.60	1,754.60
	कुल	2,46,677.25	2,30,592.70

समेकित अनुसूची 7 - उधार

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
1	केंद्र सरकार	-	-
2	भारतीय रिजर्व बैंक	-	22399.43
3	अन्य:		
	भारत में		
	i) जमा प्रमाणपत्र	18,386.30	16184.19
	ii) वाणिज्यिक पत्र	42,537.72	34551.80
	iii) त्रिपक्षीय रेपो/ सीबीएलओ	19,171.95	16993.10
	iv) मीयादी मुद्रा उधार	1,942.13	1987.01
	v) बैंकों से मीयादी ऋण	77,505.01	70623.34
	vi) जेएनएन सोलर मिशन	2.81	2.81
	vii) अल्पावधि जमाराशियों पर उधार	3,674.99	-
(आ)	भारत से बाहर		
	i) अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ	909.98	918.44
	कुल	1,64,130.89	1,63,660.12



समेकित अनुसूची 8 - चालू देयताएँ और प्रावधान

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
1	उपचित ब्याज/ छूट	8,026.87	7,645.44
2	विविध लेनदार (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-4 देखें)	3,358.75	3,260.82
3	सब्सिडी प्रारक्षित निधि (सह-वित्तपोषण, शीतगृह, सीएसएएमआई)	30.90	47.02
4	प्रेच्युटी के लिए प्रावधान	27.20	22.83
5	पेंशन के लिए प्रावधान	-	331.04
6	साधारण छुट्टी के नकदीकरण हेतु प्रावधान	367.70	380.28
7	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ हेतु प्रावधान	148.34	138.12
8	वेतन संशोधन के लिए प्रावधान (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-24 देखें)	75.17	880.00
9	बॉण्डों पर ब्याज - जिसका दावा नहीं किया गया	2.82	2.87
10	परिपक्व बॉण्ड - जिनका दावा नहीं किया गया	14.69	17.63
11	बॉण्ड प्रीमियम	45.70	136.33
12	प्रावधान और आकस्मिकताएँ	-	-
	क) निवेश खाते के मूल्य में हास - सरकारी प्रतिभूतियाँ	1,579.25	704.50
	ख) सरकारी प्रतिभूतियों का परिशोधन - एचटीएम	77.57	68.47
	ग) मानक आस्तियों के लिए	2,952.13	2,750.60
	घ) अनर्जक निवेश	366.17	377.97
	ङ) काउंटरसाइकिलकल प्रोजेक्टिंग बफर/फ्लोटिंग प्रावधान	2,014.45	2,014.45
	च) अन्य आस्तियों और प्राप्तिओं हेतु प्रावधान	77.79	136.36
	छ) आय कर हेतु प्रावधान	3,153.02	2,826.80
13	आस्थगित कर देयता	-	0.08
14	अन्य देयताएँ	92.93	83.23
	कुल	22,411.45	21,824.84

नोट: अनर्जक अग्रियों को अनुसूची-11 में दर्शाए गए अग्रियों के समक्ष समायोजित किया गया है।

समेकित अनुसूची 9 - नकदी और बैंक शेष

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
1	हाथ में रोकड़	-	-
2	निम्नलिखित के पास शेष:		
	(अ) भारत में बैंकों में		
	i) भारतीय रिज़र्व बैंक	4,800.93	363.60
	ii) अन्य बैंक		
	क) चालू खाते में	3,130.41	1,757.74
	ख) बैंकों में जमा	8,243.82	3,952.15
	iii) मार्गस्थ विप्रेषण	400.00	
	(आ) भारत से बाहर स्थित बैंक	-	-
3	त्रिपक्षीय रेपो - ऋण वितरण	279.83	
	कुल	16,854.99	6,073.49

समेकित अनुसूची 10 - निवेश

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
1	सरकारी प्रतिभूतियाँ		
	क) केंद्र सरकार और राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ [अंकित मूल्य ₹ 33316,36,70,000 (₹ 35624,48,60,000)]	34,634.35	35,438.71
	ख) ट्रेजरी बिल [अंकित मूल्य ₹ 5771,36,60,000 (₹ 565,00,00,000.00)]	3,341.98	5,629.89
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	-	-
3	निम्नलिखित में इक्विटी शेयर :		
(क)	कृषि वित्त निगम लि. 1,000 (1,000) - प्रत्येक ₹10,000 के इक्विटी शेयर	1.00	1.00
(ख)	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक [5,31,92,203 (5,31,92,203) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]	966.28	966.28
(ग)	भारतीय कृषि बीमा कं. लि. [6,00,00,000 (6,00,00,000) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]	60.00	60.00
(घ)	मल्टी कमोडिटी एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लि. [3,77,758 (3,77,758) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]	0.30	0.30
(ङ)	नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड [56,25,000 (56,25,000) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]	16.88	16.88
(च)	सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड इक्विटी [55,000 (55,000) - प्रत्येक ₹1000 के शेयर]	9.75	9.75
(छ)	भारतीय कृषि कौशल परिषद [4,000 (4,000) - प्रत्येक ₹10 के शेयर]	-	-
(ज)	नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड [इक्विटी] [15,00,000 (15,00,000) - प्रत्येक ₹10 के शेयर]	1.50	1.50
(झ)	नेशनल ई-रिपॉजिटरी लिमिटेड [1,05,30,000 (1,05,30,000) - प्रत्येक ₹10 के शेयर]	10.53	10.53
(ञ)	डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क [10,00,000 (0) - प्रत्येक ₹100 के शेयर]	10.00	10.00
(ट)	अन्य इक्विटी निवेश	28.08	28.08
4	डिबेंचर और बॉण्ड		
(क)	रासकृग्रावि बैंकों के विशेष विकास डिबेंचर (अनुसूची 18 का नोट आ-12 देखें)	244.80	429.81
(ख)	अपरिवर्तनीय डिबेंचर	931.66	1,255.44
5	अन्य		
(क)	म्यूचुअल फंड	3,892.25	21,159.69
(ख)	वाणिज्यिक पत्र [अंकित मूल्य ₹ 200,00,00,000 (₹ 650,00,00,000)]	185.05	185.05
(ग)	जमाराशि प्रमाण-पत्र [अंकित मूल्य ₹ 0 (₹ 250,00,00,000)]	3,266.42	-
(घ)	उद्यम पूंजी निधि/ एआईएफ़	341.25	403.08
(ङ)	ईओएल के लिए निर्धारित निवेश	61.02	119.29
	कुल	48,003.10	65,725.28



समेकित अनुसूची 11- अग्रिम

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
1	पुनर्वित्त ऋण		
(क)	उत्पादन और विपणन ऋण	1,40,912.79	1,19,562.90
(ख)	मध्यावधि - परिवर्तन ऋण	-	7.57
(ग)	अन्य निवेश ऋण		
(i)	मध्यावधि और दीर्घावधि परियोजना ऋण	2,51,794.43	2,38,692.47
(ii)	जिमस बैंकों को प्रत्यक्ष पुनर्वित्त	13,955.92	9,822.42
2	प्रत्यक्ष ऋण		
(क)	ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि के अंतर्गत ऋण	1,54,069.63	1,42,525.62
(ख)	भंडारागार आधारभूत संरचना निधि के अंतर्गत ऋण	4,091.60	4,776.63
(ग)	दीर्घावधि गैर-परियोजना ऋण (प्रावधानों का कुल)	1,329.46	1,385.91
(घ)	नाबाई आधारभूत संरचना विकास सहायता (नीडा) के अंतर्गत ऋण	27,889.73	23,319.06
(ङ)	उत्पादक संगठन विकास निधि के अंतर्गत ऋण	6.42	15.49
(च)	फेडरेशनों को ऋण सुविधा (सीएफएफ)	17,355.21	22,314.19
(छ)	खाद्य प्रसंस्करण निधि के अंतर्गत ऋण	421.84	303.69
(ज)	दीर्घावधि सिंचाई निधि के अंतर्गत ऋण	53,966.35	53,283.32
(झ)	प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण	48,819.03	48,819.03
(ञ)	स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएमजी)	12,298.20	12,298.20
(ट)	डेयरी प्रसंस्करण और आधारभूत संरचना विकास निधि (डीआईडीएफ) के अंतर्गत ऋण	1,499.60	924.73
(ठ)	जीसीएफ के अंतर्गत ऋण	372.68	317.34
(ड)	सूक्ष्म सिंचाई निधि	2,516.02	2,083.72
(ढ)	मत्स्यपालन और जलचरपालन आधारभूत संरचना विकास निधि	561.68	365.70
(ण)	अन्य ऋण:		
(i)	सूक्ष्म वित्त विकास इक्विटी निधि कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण	0.11	0.10
(ii)	वाटरशेड विकास निधि कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण	7.22	10.95
(iii)	जनजाति विकास निधि कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण	-	0.08
(iv)	केएफडब्ल्यू यूपीएनआरएम के अंतर्गत ऋण	23.14	52.78
(v)	कृषीतर क्षेत्र संवर्धन गतिविधि कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण	0.63	0.82
	कुल	7,31,891.69	6,80,882.72

नोट: ₹2,041.54 करोड़ की अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर निवल अग्रिम



समेकित अनुसूची 12 - अचल आस्तियाँ

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
1	भूमि : स्वामित्व वाली और पट्टाकृत (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-10 देखें)		
	प्रारंभिक शेष	201.08	201.08
	वर्ष के दौरान वृद्धि/ समायोजन	0.15	-
	उप-जोड़	201.23	201.08
	घटाएँ : बेची गई/ बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	-	-
	इति शेष (लागत पर)	201.23	201.08
	घटाएँ : लीज प्रीमियमों का परिशोधन	64.16	62.47
	बही मूल्य	137.07	138.61
2	परिसर (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-10 देखें)		
	प्रारंभिक शेष	655.74	655.74
	वर्ष के दौरान वृद्धि/ समायोजन	0.36	0.00
	उप-जोड़	656.10	655.74
	घटाएँ : बेची/ बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	-	-
	इति शेष (लागत पर)	656.10	655.74
	घटाएँ : अब तक मूल्यहास	335.30	318.60
	बही मूल्य	320.80	337.14
3	फर्नीचर और फिक्सचर्स		
	प्रारंभिक शेष	69.06	67.80
	वर्ष के दौरान वृद्धि/ समायोजन	2.82	3.10
	उप-जोड़	71.88	70.90
	घटाएँ : बेची गई/ बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	0.22	1.84
	इति शेष (लागत पर)	71.66	69.06
	घटाएँ : अब तक मूल्यहास	62.73	60.36
	बही मूल्य	8.93	8.70
4	कंप्यूटर इंस्टॉलेशन और कार्यालय उपकरण		
	प्रारंभिक शेष	226.24	204.28
	वर्ष के दौरान वृद्धि/ समायोजन	14.26	25.30
	उप-जोड़	240.50	229.58
	घटाएँ : बेची गई/ बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	3.81	3.35
	इति शेष (लागत पर)	236.69	226.23
	घटाएँ : अब तक मूल्यहास	201.69	174.55
	बही मूल्य	35.00	51.68



क्रम. सं.	विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
5	वाहन		
	प्रारंभिक शेष	13.13	11.69
	वर्ष के दौरान वृद्धि/ समायोजन	4.55	6.06
	उप-जोड़	17.68	17.75
	घटाएँ : बेची गई/ बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	4.33	4.62
	इति शेष (लागत पर)	13.35	13.13
	घटाएँ : अब तक मूल्यहास	5.67	4.98
	बही मूल्य	7.68	8.15
6	जारी पूंजीगत कार्य [स्टाफ क्वार्टर और कार्यालय परिसर की खरीद]	33.82	22.02
	कुल	543.30	566.30

समेकित अनुसूची 13 - अन्य आस्तियाँ

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
1	उपचित ब्याज	3,066.19	3,174.88
2	भूस्वामियों के पास जमाराशि	2.80	2.27
3	सरकारी विभागों और अन्य संस्थाओं के पास जमाराशि	54.09	53.89
4	स्टाफ को आवास ऋण	120.77	121.05
5	स्टाफ को अन्य अग्रिम	92.48	87.61
6	विविध अग्रिम	178.90	153.42
7	अग्रिम कर	46.06	36.46
8	आस्थगित कर आस्तियाँ (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-8 देखें)	187.85	191.82
9	भारत सरकार/ अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्य व्यय (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-3 देखें)	1,415.36	1,241.54
10	प्राप्य डिस्काउंट	134.28	46.58
11	बॉण्ड के निर्गम पर डिस्काउंट	175.62	77.30
12	प्रतिभूतीकरण पीटीसी	88.83	34.77
	कुल	5,563.23	5,221.59



समेकित अनुसूची 14 - ब्याज और वित्तीय प्रभार

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
1	निम्नलिखित पर अदा किया गया ब्याज		
(क)	आरआईडीएफ के अंतर्गत जमाराशियाँ	4,921.28	5,164.70
(ख)	अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण निधि	2,108.64	1,794.32
(ग)	अल्पावधि क्षेत्रीय बैंक ऋण पुनर्वित्त निधि	533.78	363.65
(घ)	भंडारागार आधारभूत संरचना निधि	151.93	199.13
(ङ)	दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि	1,270.34	1,363.36
(च)	खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए निधि	13.13	12.31
(छ)	चाय/ कॉफी/ रबड़ जमाराशियाँ	3.11	2.59
(ज)	सीबीएस जमाराशियाँ	-	-
(झ)	मीयादी मुद्रा उधार	82.79	128.13
(ञ)	बॉण्ड (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-14 देखें)	13,765.25	12,788.15
(ट)	कॉर्पोरेट ऋण	4,357.46	1,819.62
(ठ)	अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से उधार	23.92	25.31
(ड)	अल्पावधि जमाराशियों पर उधार	0.86	-
(ढ)	वाणिज्यिक पत्र पर डिस्काउंट	1,272.11	1,002.54
(ण)	जमा प्रमाण-पत्र पर डिस्काउंट	803.52	384.13
(त)	रेपो ब्याज व्यय	8.31	22.38
(थ)	निधियों पर अदा किया गया ब्याज	223.10	375.91
(द)	एसएलएफ के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक से उधार	385.27	725.10
2	सीबीएलओ/ त्रिपक्षीय रेपो पर डिस्काउंट	376.70	330.45
3	बॉण्ड और प्रतिभूतियों पर डिस्काउंट, ब्रोकरेज, कमीशन और निर्गम पर व्यय	42.20	42.74
4	स्वैप प्रभार	26.40	29.70
	कुल	30,370.10	26,574.22



समेकित अनुसूची 15 अ - स्थापना और अन्य व्यय

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
1	वेतन और भत्ते (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-24 देखें)	882.35	943.76
2	स्टाफ अधिवर्षिता निधियों में अंशदान/ उनके लिए प्रावधान	374.71	735.04
3	अन्य अनुलाभ और भत्ते	189.55	186.31
4	निदेशकों और समिति के सदस्यों की बैठकों से संबंधित यात्रा भत्ता और अन्य भत्ते	0.16	0.03
5	निदेशकों और समिति के सदस्यों का शुल्क	0.88	0.59
6	किराया, दरें, बीमा, बिजली आदि	48.11	40.95
7	यात्रा व्यय	54.91	39.61
8	मुद्रण और लेखन सामग्री	7.38	8.04
9	डाक, टेलीग्राम और टेलीफोन	22.92	21.11
10	मरम्मत	24.08	24.70
11	लेखापरीक्षकों की फीस*	0.43	0.51
12	विधिक प्रभार	3.51	1.78
13	विविध व्यय	268.35	201.31
14	विविध आस्तियों पर व्यय	7.56	7.82
15	अध्ययन और प्रशिक्षण पर व्यय	57.20	69.79
	कुल	1,942.10	2,281.35

* नोट: इसमें पूर्ववर्ती सांविधिक लेखा परीक्षकों को किया गया भुगतान शामिल है जिन्हें पहले यह राशि नहीं दी गई थी. साथ ही, इसमें पेंशन और ग्रेच्युटी ट्रस्ट के सांविधिक लेखा परीक्षकों को किया गया भुगतान भी शामिल है.

अनुसूची 15 आ - संवर्धन गतिविधियों पर व्यय

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
1	सहकारिता विकास निधि	33.63	30.53
2	उत्पादक संगठन विकास निधि	3.84	5.11
3	ग्रामीण आधारभूत संरचना संवर्धन निधि	5.34	6.23
4	कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि	28.68	22.17
5	जलवायु परिवर्तन निधि	2.53	1.75
6	ग्राम्य विकास निधि	61.75	46.09
7	उत्प्रेरक पूंजी निधि	0.98	-
	कुल	136.75	111.88



समेकित अनुसूची 16 - प्रावधान

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
	निम्नलिखित के लिए प्रावधान :		
1	मानक आस्तियाँ	206.21	155.59
2	अनर्जक आस्तियाँ	350.16	398.49
3	अस्थिर प्रावधान	-	750.00
4	निवेश खाते के मूल्य में हास - इक्विटी	(10.65)	10.64
	कुल	545.72	1,314.72

समेकित अनुसूची 17 - प्रतिबद्धताएँ और आकस्मिक देयताएँ

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
1	निष्पादन के लिए शेष पूंजीगत संविदाओं के कारण प्रतिबद्धताएँ	14.40	14.98
	उप जोड़ "अ"	14.40	14.98
2	आकस्मिक देयताएँ		
(i)	बैंक गारंटी	31.22	30.44
(ii)	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	-	-
(iii)	लंबित विधिक मामले	379.66	10.18
	उप जोड़ "आ"	410.88	40.62
	कुल (अ + आ)	425.28	55.60



अनुसूची 18

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ और टिप्पणियाँ जो 31 मार्च 2023 को

समाप्त वर्ष के समेकित लेखों का भाग है

अ. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. लेखे तैयार करने का आधार:

लेखे ऐतिहासिक लागत परंपरा के आधार पर तैयार किए गए हैं और इन्हें तैयार करने में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 और उसके विनियमों में निहित महत्वपूर्ण पहलुओं, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी प्रयोज्य लेखा मानकों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक मानदंडों का पालन किया गया है। उन मामलों को छोड़कर जहाँ अन्यथा उल्लिखित है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (बैंक/ नाबार्ड) ने निरंतर लेखा नीतियों का पालन किया है और ये नीतियाँ पिछले वर्ष में प्रयुक्त की गई नीतियों के अनुरूप हैं।

2. समेकन का आधार:

समेकित वित्तीय विवरण भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 21 - "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुसार तैयार किए गए हैं।

शेयरों के अधिग्रहण के समय बैंक की निवल आस्तियों के भाग के समक्ष, बैंक के निवेश की लागत से आधिक्य/ कमी को आरक्षित निधियों और अधिशेष में दर्शाया गया है।

समान लेन-देनों तथा एक समान परिस्थितियों के लिए एक समान लेखांकन नीतियों का उपयोग कर समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं तथा किन्हीं विचलनों, यदि कोई हों, के लिए जहाँ तक संभव हो, समेकित वित्तीय विवरणों में आवश्यक समायोजन किया गया है तथा उन्हें उसी तरह प्रस्तुत किया गया है जिस तरह बैंक के एकल रूप में तैयार किए गए वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत किया गया है। सहायक संस्थाओं से संबंधित आँकड़ों की प्रस्तुति को बैंक के मूल वित्तीय विवरणों के अनुसार सुव्यवस्थित करने के लिए उन्हें आवश्यकतानुसार पुनःसमूहित/ पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

समेकन में सहायक संस्थाओं के जिन वित्तीय विवरणों का उपयोग किया गया है वे उसी रिपोर्टिंग तिथि तक तैयार किए गए हैं जिस तिथि तक बैंक के विवरण तैयार किए गए हैं।

लेखा मानक-21 'समेकित वित्तीय विवरण' के पैरा 6 की व्याख्या इस प्रकार है:

मूल उद्यम और उसकी सहायक संस्थाओं के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में दर्शाए जाने वाले सभी नोटों को समेकित वित्तीय विवरणों के नोट्स में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने

के लिए, नोट्स और अन्य व्याख्यात्मक सामग्री, जो उनका एक अभिन्न अंग हैं, के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन किया जाए:

क) समेकित वित्तीय विवरणों की सही और स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक टिप्पणियाँ समेकित वित्तीय विवरणों में उनके अभिन्न भाग के रूप में शामिल की गई हैं।

ख) केवल उन्हीं टिप्पणियों का प्रकटन किया जाएगा जिनमें ऐसी मदें शामिल हैं जो महत्वपूर्ण हैं। इस उद्देश्य के लिए महत्ता का आकलन समेकित वित्तीय विवरणों में निहित जानकारी के संदर्भ में किया जाता है। इसे देखते हुए, यह संभव है कि कुछ ऐसी टिप्पणियाँ हों, जो मूल कंपनी या सहायक संस्था के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई हों, किंतु समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में महत्ता का आकलन किए जाने पर उन सूचनाओं को समेकित वित्तीय विवरणों में दिए जाने की आवश्यकता न हो।

ग) सहायक संस्थाओं तथा/ अथवा मूल कंपनी से संबंधित अतिरिक्त सांविधिक सूचनाएँ, जो उनके अलग वित्तीय विवरणों में दी गई हों परंतु जिससे समेकित वित्तीय विवरणों की सही और निष्पक्ष स्थिति पर कोई असर न पड़ता है, को समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाना आवश्यक नहीं है। कंपनियों के मामले में, ऐसी सूचनाओं से संबंधित उदाहरण को मानक के साथ संलग्न किया गया है।

इस संबंध में, बैंक द्वारा ऐसे नोट्स तथा नीतियों को लगातार प्रकट किया है जो भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमों के अनुसार जरूरी प्रकटीकरण सहित सभी प्रकटीकरण निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं, और मूल तथा सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए अन्य नोट्स एवं सांविधिक सूचनाओं संरचना को छोड़ दिया गया है, जिनका समेकित वित्तीय विवरणों की सही और निष्पक्ष प्रस्तुति पर कोई प्रभाव न पड़ता हो। तथापि, एएस-15 के अनुसार कर्मचारी लाभ, पूंजी पर्याप्तता, अनर्जक आस्तियों का प्रकटीकरण, प्रावधान कवरेज अनुपात महत्वपूर्ण होने के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रकटीकरण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन नोट्स को समेकित नहीं किया गया है।

बैंक और इसकी सहायक संस्थाओं के वित्तीय विवरणों को पंक्ति दर पंक्ति जोड़ा गया है जिसमें आस्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय जैसी मदों के बही मूल्याँ, अंतःसमूह शेषों और अंतःसमूह लेनदेनों को पूरी तरह से हटा दिया गया है। अंतःसमूह लेन-देन के परिणामस्वरूप अप्राप्त लाभों अथवा हानियों को हटा दिया गया है तथा अंतः-समूह लेन-देन के परिणामस्वरूप हुई अप्राप्त हानियों को भी हटा दिया गया है, यदि लागत न वसूल की जा सके।



समेकित सहायक संस्थाओं के निवल लाभ में माइनोंरिटी इंटेरेस्ट के हिस्से की पहचान की गई है और शेयरधारकों से संबंधित निवल आय की गणना करने के लिए कर-पश्चात् लाभ के समक्ष इसे समायेजित किया गया है। समेकित सहायक संस्थाओं की हानियों में अन्य माइनोंरिटी इंटेरेस्ट का हिस्सा, यदि इक्विटी में माइनोंरिटी इंटेरेस्ट के हिस्से से अधिक होता है, तो अन्य माइनोंरिटी से संबंधित आधिक्य की राशि और आगे हुई हानियों को समूह के इंटेरेस्ट के समक्ष समायोजित किया गया है।

समेकित सहायक संस्थाओं की निवल आस्तियों में माइनोंरिटी इंटेरेस्ट का हिस्सा समेकित तुलन-पत्र में कंपनी के शेयरधारकों की देयताओं और इक्विटी से अलग प्रस्तुत किया गया है।

3. बैंक के खातों के समेकित वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित सहायक संस्थाएँ शामिल हैं:

सहायक संस्था का नाम	निगमन देश	स्वामित्व का अनुपात (%)	
		2022-23	2021-22
नैबकिसान फाइनेंस लि. (नैबकिसान)	भारत	87.77	87.77
नैबसमृद्धि फाइनेंस लि. (नैबसमृद्धि)	भारत	91.09	91.09
नैबफिन्स लि. (नैबफिन्स)	भारत	63.10	63.10
नाबार्ड कन्सल्टेंसी सर्विसेज प्रा. लि. (नैबकॉन्स)	भारत	100	100
नैबवेंचर्स लि. (नैबवेंचर्स)	भारत	100	100
नैबफ़ाउंडेशन	भारत	100	100
नैबसंरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लि. (नैबसंरक्षण)	भारत	100	100

4. अनुमानों का उपयोग:

सामान्यतया मान्य लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप वित्तीय विवरणियाँ तैयार करने के लिए यह अपेक्षित होता है कि प्रबंधन ऐसी बातें मान कर चले और ऐसे अनुमान लगाए जो बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई आस्तियों और देयताओं की राशि तथा वित्तीय विवरणों की तिथि पर आकस्मिक देयताओं के प्रकटन और रिपोर्टिंग की अवधि के दौरान परिचालनों के परिणामों की स्थिति को प्रभावित करते हैं। यद्यपि, ये अनुमान प्रबंधन तंत्र की सर्वोत्तम जानकारी पर आधारित हैं, तथापि वास्तविक निष्कर्ष इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। इन भिन्नताओं का निर्धारण उस वर्ष में दर्शाया जाता है जब ये परिणाम प्राप्त होते हैं।

5. राजस्व निर्धारण:

- 5.1 नकदी के आधार पर लेखाबद्ध निम्नलिखित मदों को छोड़ कर, आय और व्यय को उपचय के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है:

- i) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पहचानी गई अनर्जक आस्तियों पर ब्याज.

- ii) ऋण देयों की प्राप्ति में विलंब या ऋण की शर्तों का अनुपालन न किए जाने करने पर, प्रभारित दंडात्मक ब्याज के रूप में आय.
iii) विभिन्न निधियों से दिए गए ऋणों पर सेवा प्रभार.
iv) किसी एक व्यय शीर्ष के अंतर्गत प्रत्येक लेखा इकाई में ₹10,000 तक के व्यय.

- v) ऋण प्रोसेसिंग के लिए ग्राहकों से लिया गया अपफ्रंट प्रोसेसिंग शुल्क. जारी किए गए बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों की डिस्काउंट राशि को बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों की अवधि के लिए परिशोधित किया गया. बॉण्ड के निर्गम से संबंधित व्ययों को बॉण्ड के निर्गम वर्ष का व्यय माना गया है.

- 5.3 लाभांश प्राप्त होने का अधिकार स्थापित हो जाने पर निवेश पर लाभांश को लेखे में लिया गया है.

5.3.1 उद्यम पूंजी निधि से प्राप्त आय की गणना वसूली के आधार पर की गई है.

5.3.2 जिस सब्सिडी के लिए नाबार्ड पास थ्रू एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है, उस सब्सिडी और उस पर सेवा शुल्क का लेखांकन संबंधित योजनाओं के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता के अधीन अदायगी के आधार पर किया गया है.

- 5.4 अनर्जक आस्तियों की वसूली निम्नलिखित क्रम में विनियोजित की गई है:

- i) दंडात्मक ब्याज
ii) लागत और प्रभार
iii) अतिदेय ब्याज और ब्याज
iv) मूलधन

- 5.5 संवितरित मीयादी ऋण से ब्याज और बैंकों से प्राप्त ब्याज को, बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए अवधिगत अनुपात के आधार पर गणना में लिया गया है.

- 5.6 समझौता और समाधान/ निपटान के मामले में, वसूली को संबंधित समझौता/ समाधान निपटान की शर्तों के अनुसार विनियोजित किया गया है.

- 5.7 जिन खातों के लिए वाद दायर किए गए हैं/ डिक्री प्राप्त हुई है उनके संबंध में, वसूली को निम्नानुसार विनियोजित किया गया:

- i) संबन्धित न्यायालय के निर्देशों के अनुसार.
ii) न्यायालय से विशिष्ट निर्देशों के न होने पर, उक्त बिन्दु 5.5 के अनुसार.

5.8 नैबकॉन्स - सेवाओं से आय

5.8.1 सौंपे गए कार्यों से आय: कंपनी के लिए सौंपे गए कार्यों से होने वाली आय, आय का मुख्य स्रोत है. सौंपे गए कार्य की समाप्ति पर कार्य विशेष से संबंधित आय और तदनुसूची व्यय को गणना में लिया गया है. सौंपे गए कार्य को निम्नलिखित स्थितियों में पूर्ण माना जाता है

- डीपीआर तैयार करने के मामले में, जब पार्टी को ड्राफ्ट रिपोर्ट जारी कर दी गई हो.
- जिन कार्यों के निष्पादन की अवधि विस्तृत है, उनके मामलों में महत्वपूर्ण पड़ावों और कार्य पूर्ण कर सौंपे जाने, निष्पादन की स्थिति और पूर्णता की अवधि के आधार पर आय-निर्धारण किया गया है.
- यदि सौंपा गया कार्य एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए समयबद्ध संविदा के रूप में हो, तो ऐसे मामले में पूर्ण हो चुकी अवधि के अनुपात में आय निर्धारण किया गया है.



- 5.8.2 कंपनी की नीति के अनुसार जिन कार्यों को जारी रखे जाने की संभावना नहीं है उन्हें “जैसा है जहाँ है” आधार पर वहीं बंद कर दिया गया है और उनसे प्राप्त राशि को आय के रूप में माना गया है।
- 5.8.3 वर्तमान में चल रहे जिन कार्यों के लिए कंपनी की उपर्युक्त नीति के अनुसार आय बुकिंग के मानदंडों का पालन नहीं किया गया है, महत्वपूर्ण पड़ावों को प्राप्त नहीं किया गया है, उनके लिए प्रगामी आधार पर प्राप्त अग्रिम राशि को ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम के रूप में अलग से दर्शाया गया है और उसे चालू देयता के रूप में माना गया है। इस प्रकार के कार्यों पर हुए व्यय को चालू आस्तियों के रूप में दर्शाया गया है और कंपनी की नीति के अनुसार, इसे उस वर्ष के खर्च के रूप में दिखाया जाएगा जिसमें संबंधित आय को लेखाबद्ध किया गया है।
- 5.8.4 नैबकॉन्स को ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी), भारत सरकार द्वारा डीडीयू-जीकेवाई योजना के कार्यान्वयन के संबंध में केंद्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी (सीटीएसए) के रूप में नियुक्त किया गया है। विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार, नैबकॉन्स आवंटित राज्यों के संबंध में कुल योजनागत लागत के 1.5% (जीएसटी सहित) की दर से अनुप्रवर्तन लागत को दो समान किस्तों - प्रत्येक 50% राशि की - में प्राप्त करने का हकदार है, जिसे प्रत्येक किस्त को जारी/मंजूर किए जाने के समय आय के रूप में लेखाबद्ध किया जाएगा। उपर्युक्त के अतिरिक्त, नैबकॉन्स को कई राज्यों द्वारा भी तकनीकी सहायता एजेंसी (टीएसए) के रूप में नियुक्त किया गया है, जिससे प्राप्त आय का निर्धारण एसआरएलएम/एसएसडीएम के साथ निष्पादित समझौता ज्ञापन में बताई गई सहमत शर्तों के अनुसार किया गया। इस प्रकार, नैबकॉन्स ने एमओआरडी/ एसआरएलएम से प्राप्य ऐसी आय का निर्धारण किया है, जो या तो मंजूर है अथवा देय है, लेकिन प्रशासनिक कारणों, धन की कमी आदि के कारण उसका भुगतान नहीं किया गया है। इसके अलावा, नैबकॉन्स ने परियोजना मूल्यांकन एजेंसी का कार्य भी किया है। परियोजना मूल्यांकन से संबंधित आय का निर्धारण परियोजना कार्य के पूरा होने/ पीआईए से फीस की प्राप्ति के समय पर की गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्य योजना की अवधि (वित्त वर्ष 2019-23) 31.03.2024 तक बढ़ा दी गई है।

6. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अचल आस्तियाँ)

- 6.1 अचल आस्तियों को संचित मूल्यहास और क्षति के कारण होने वाली हानि, यदि कोई हो, को घटा कर, अधिग्रहण लागत पर दर्शाया गया है। आस्तियों की लागत में उनके अधिग्रहण और उन्हें स्थापित करने से संबंधित कर, शुल्क, भाड़े और अन्य प्रासंगिक व्यय शामिल हैं। विद्यमान आस्तियों पर बाद में किए गए व्यय को तभी पूंजीकृत किया गया है जब उससे, विद्यमान आस्तियों का भविष्यगत लाभ उनके पूर्व में आकलित कार्यनिष्पादन के स्तर से आगे बढ़ जाता है।
- 6.2 भूमि में पूर्ण स्वामित्व वाली और पट्टे पर ली गई भूमि शामिल है।
- 6.3 परिसर में भूमि का मूल्य शामिल है, जहाँ अलग-अलग मूल्य तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।
- 6.4 वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि और पट्टेवाली भूमि पर स्थित परिसर पर मूल्यहास की नीति में संशोधन किया गया है और मूल्यहास की गणना 30 वर्षों की अवधि के लिए गणना सीधी रेखा पद्धति के आधार पर की गई है।

- 6.5 पट्टे पर ली गई भूमि पर भुगतान किए गए अपफ्रंट लीज प्रीमियम को लीज की अवधि में 5% की दर से प्रारंभिक अवलिखित मूल्य पर या लीज की शेष अवधि पर शेष लीज प्रीमियम की आनुपातिक राशि, जो भी अधिक हो, के अनुसार परिशोधित किया गया है।
- 6.6 ₹1 लाख और उससे कम लागत की प्रत्येक अचल आस्ति (आसानी से स्थानांतरणीय इलेक्ट्रॉनिक आस्ति, जैसे - लैपटाप, मोबाइल फोन आदि को छोड़कर) को उसके अधिग्रहण वर्ष में लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है। आसानी से स्थानांतरणीय इलेक्ट्रॉनिक आस्तियों, जैसे - लैपटाप, मोबाइल फोन आदि को तभी पूंजीकृत किया गया है जब प्रत्येक मद की लागत ₹10,000 से अधिक है। ₹1 लाख और उससे कम लागत वाले और स्वतंत्र रूप से खरीदे गए प्रत्येक सॉफ्टवेयर को लाभ हानि खाते में प्रभारित किया गया है।
- 6.7 अन्य अचल आस्तियों पर मूल्यहास सीधी रेखा पद्धति के आधार पर, आस्तियों की प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की गई अनुमानित उपयोगिता अवधि पर निम्नलिखित दरों से प्रभारित किया गया है:

आस्तियों का प्रकार	मूल्यहास की दर
फर्नीचर और फिक्सचर्स	20%
कम्प्यूटर और सॉफ्टवेयर	33.33%
कार्यालय उपकरण	20%
वाहन	20%

- 6.8 आस्तियों के मूल्यहास की गणना उस माह से की जाती है जिस माह से वर्ष के दौरान खरीदी गई आस्ति को पूंजीकृत किया जाता है। यह गणना उस माह उस माह तक की अवधि के लिए की जाती है जब तक उस आस्ति की बिक्री नहीं हो जाती।
- 6.9 चल रहे पूंजीगत कार्य में पूंजी अग्रिम शामिल है और इसे अचल सम्पत्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया है।
- 6.10 सहायक संस्थाओं के मामले में अचल आस्तियों पर मूल्यहास की गणना निम्नानुसार की गई है

सहायक संस्था का नाम	मूल्यहास की प्रणाली
नैबकिसान	अनुसूची II के अनुसार अवलिखित मूल्य
नैबसमृद्धि	अनुसूची II के अनुसार सीधी रेखा पद्धति
नैबफिन्स	अनुसूची II के अनुसार अवलिखित मूल्य
नैबकॉन्स	अनुसूची II के अनुसार सीधी रेखा पद्धति
नैबवेंचर्स	अनुसूची II के अनुसार अवलिखित मूल्य
नैबफाउंडेशन	अनुसूची II के अनुसार सीधी रेखा पद्धति
नैबसंरक्षण	अनुसूची II के अनुसार अवलिखित मूल्य

7. निवेश

- 7.1 प्रतिभूतियों में लेन-देन “निपटान तिथि” पर दर्ज किए जाते हैं।
- 7.2 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों को “व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)”, “बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)” और “परिपक्वता के लिए धारित (एचटीएम)” श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है (जिन्हें आगे “श्रेणियाँ” कहा गया है)।

- 7.3 जो प्रतिभूतियाँ मुख्यतः ऋय की तिथि से 90 दिन के भीतर फिर से बेचे जाने के लिए धारित हैं उन्हें “एचएफटी” श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। जिन निवेशों को बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है उन्हें “एचटीएम” श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। जिन प्रतिभूतियों को इन दोनों में से किसी श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जाना है उन्हें “एएफएस” श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।
- 7.4 परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत जिन निवेशों की लागत अंकित मूल्य के समान या कम है उन्हें अधिग्रहण की लागत पर रखा गया है। यदि लागत, अंकित मूल्य से अधिक है तो प्रीमियम को परिपक्वता के लिए शेष अवधि के लिए परिशोधित किया गया है। “एचटीएम” श्रेणी के अंतर्गत, सहायक संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेश के मूल्य में कमी, अस्थायी कमी को छोड़कर, की स्थिति में यथावश्यक प्रावधान किया गया है। यदि ऐसे निवेशों के मूल्य में कोई कमी आती है/परिशोधन हुआ है तो इसके लिए किए गए प्रावधान को चालू देयताओं और प्रावधानों के तहत शामिल किया गया है।
- 7.5 “एचटीएम” के तहत वर्गीकृत निवेशों के मोचन पर प्राप्त लाभों को लाभ और हानि लेखा में दर्शाया गया है।
- 7.6 “एएफएस” के अंतर्गत निवेशों को अखिल भारतीय निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ (एफआईएमएमडीए) और फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्रा. लि. द्वारा घोषित दर पर स्क्रिप-वार बाजार दर के अनुसार मार्क किया गया है। यदि कोई निवल मूल्यहास है, तो “एएफएस” के तहत वर्गीकृत श्रेणी में निवेश के लिए प्रावधान किया गया है और मूल्यवृद्धि को अनदेखा किया गया है। पुनर्मूल्यांकन के बाद अलग-अलग स्क्रिप के अंकित मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
- 7.7 “एचएफटी” के अंतर्गत निवेशों को अखिल भारतीय निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ (एफआईएमएमडीए) और फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्रा.लि. द्वारा घोषित दर पर स्क्रिप-वार बॉण्ड बाजार दर के अनुसार मार्क किया गया है। मूल्यहास/ मूल्यवृद्धि को “एचएफटी” श्रेणी के निवेशों में दर्शाया गया है। पुनर्मूल्यांकन के बाद अलग अलग स्क्रिप के अंकित मूल्य में परिवर्तन किया गया है।
- 7.8 सहायक संस्थाओं/संयुक्त उद्यमों और सहयोगी संस्थाओं में किए गए निवेशों को “परिपक्वता तक धारित”(एचएफटी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- 7.9 ट्रेजरी बिलों, वाणिज्यिक पत्रों और जमा राशि प्रमाण-पत्रों का मूल्यांकन धारिता लागत पर किया गया है।
- 7.10 जिन कंपनियों में निवेश किया गया है यदि उन कंपनियों के नवीनतम लेखापरीक्षित खाते उपलब्ध हैं तो कोट न किए गए शेयरों का मूल्यांकन ब्रेक-अप मूल्य पर या भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार ₹1/- प्रति कंपनी की दर से किया गया है।
- 7.11 असूचीबद्ध इक्विटियों सहित निवेशों के संबंध में अधिग्रहण के समय अदा की गई ब्रोकरेज, कमीशन आदि की राशि को राजस्व के अंतर्गत प्रभारित किया गया है।
- 7.12 शेयर बाजार में खरीदी/ बेची गई इक्विटियों के अधिग्रहण/ बिक्री पर अदा की गई ब्रोकरेज राशि को पूंजीकृत किया गया है।
- 7.13 ऋण निवेश पर खंडित अवधि के लिए अदा किए गए/ प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/ आय माना गया है और लागत/ बिक्री की गणना में शामिल नहीं किया गया है।
- 7.14 विभिन्न श्रेणियों के बीच प्रतिभूति के अंतरण को, अंतरण की तिथि में अधिग्रहण लागत/ बही मूल्य/ बाजार मूल्य में से जो भी कम हो, उस लागत/ मूल्य पर लेखाबद्ध किया गया है और अंतरण के बाद यदि कोई मूल्यहास है, तो उसके लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है।
- 7.15 सरकारी प्रतिभूतियों के पुनर्मूल्यांकन पर परिशोधन/ लाभ/ हानि को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है।

- 7.16 निवेशों के लेखांकन के लिए भारत औसत लागत पद्धति का पालन किया गया है।
- 7.17 उद्यम पूंजी निधियों में निवेश का लेखांकन संबंधित निधि द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीति के अनुसार किया गया है।
- 7.18 भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुरूप निवेश एनपीआई वर्गीकरण के लिए आय के उचित प्रावधान/ आय की अमान्यता के अधीन हैं। अनर्जक प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यहास/ प्रावधान अन्य निष्पादक प्रतिभूतियों में मूल्यवृद्धि के समक्ष समायोजित नहीं किए जाते हैं। यदि किसी इकाई द्वारा ली गई कोई ऋण सुविधा बैंक की लेखा-बहियों में एनपीआई है, तो उस इकाई द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति में निवेश को भी एनपीआई माना जाएगा।
- प्रतिभूतियों, अर्थात्, बॉण्ड, डिबेंचर आदि के मामले में जहाँ उधारकर्ताओं द्वारा ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया गया है, वहाँ वाईटीएम या आईआरएसी मानदंड, इनमें से जो भी अधिक हो, के आधार पर प्रावधान किया गया है।
- 7.19 रेपो/रिवर्स रेपो के तहत बेची और खरीदी गई प्रतिभूतियों की गणना संपार्श्विक युक्त उधार और उधार लेन-देन के रूप में की जाती है। तथापि, प्रतिभूतियों का अंतरण उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार सामान्य एकमुश्त बिक्री/ खरीद की जाती है और ऐसी प्रतिभूतियों को रेपो/ रिवर्स रेपो खातों और कॉन्ट्रा प्रविष्टियों के माध्यम से दर्शाया जाता है। परिपक्वता की तिथि को उपर्युक्त प्रविष्टियों का प्रत्यावर्तन कर दिया जाता है। लागत और राजस्व की गणना ब्याज व्यय/आय, जैसा भी मामला हो, के रूप में की जाती है।
- 7.20 हेजिंग उद्देश्यों के लिए डेरिवेटिव लेन-देन किए जाते हैं।
- 7.21 हेज स्वैप हेज ब्याज वाली आस्ति या देयता के साथ ब्याज दर स्वैप को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है, उस आस्ति या देयता से जुड़े स्वैप को छोड़कर, जिसका वहन बाजार मूल्य पर या लागत से कम मूल्य पर किया गया हो। स्वैप की समाप्ति पर, स्वैप के शेष सविदात्मक समय या आस्ति/ देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के आधार पर लाभ और हानि का निर्धारण किया जाता है।

8. अग्रिम और उनके लिए प्रावधान

- 8.1 अग्रिमों का वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। आवधिक समीक्षा के आधार पर और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रावधानन के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुरूप पहचाने गए अग्रिमों के संबंध में मानक आस्तियों और अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान किया गया है।
- 8.2 अग्रिमों की पुनः संरचना/ पुनःअनुसूचीकरण के मामले में, मूल करार के अनुसार भावी मूलधन और ब्याज के वर्तमान मूल्य तथा संशोधित करार के अनुसार भावी मूलधन और ब्याज के वर्तमान मूल्य के बीच के अंतर के लिए प्रावधान किया गया है।
- 8.3 अनर्जक अग्रिमों के समक्ष किए गए प्रावधानों को घटाकर अग्रिमों को दिखाया गया है।
- 8.4 निधियों से मंजूर किए गए ऋणों के संदर्भ में, अनर्जक ऋणों के लिए किए गए प्रावधान की राशि को लाभ-हानि लेखा में प्रभारित किया गया है।
- 8.5 भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीआई पर किए गए विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त, मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं। इन प्रावधानों को तुलन-पत्र की अनुसूची 8 में “वर्तमान देयताएँ



और प्रावधान” शीर्ष के तहत दर्शाया गया है और निवल एनपीए की गणना करने के लिए इन पर विचार नहीं किया गया है।

9. विदेशी मुद्रा लेन-देन

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) द्वारा विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव के संबंध में जारी लेखा मानक (एएस-11) के अनुसार विदेशी मुद्रा लेन-देनों का लेखांकन निम्नानुसार किया गया है:

- 9.1 रिपोर्टिंग की तिथि/ वर्ष के अंत में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर विदेशी मुद्रा की आस्तियों और देयताओं का पुनःमूल्यांकन किया गया है। विदेशी मुद्रा उधार के हेज किए गए भाग को संविदाकृत मूल्य पर उल्लिखित किया गया है। हेज किए गए उधार की देयता को वर्ष की समाप्ति पर विद्यमान विनिमय दर के अनुसार तुलन-पत्र में क्रॉन्टा मद (तुलन-पत्र से इतर मद) के रूप में दर्शाया गया है।
- 9.2 आय और व्यय मदों को लेन-देन की तिथि को लागू विनिमय दरों के हिसाब से परिवर्तित कर दिया गया है।

10. विदेशी विनिमय संविदाओं का लेखांकन

- 10.1 विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाएँ विदेशी मुद्रा उधारों की चुकौती को हेज करने के लिए की गई हैं।
- 10.2 हेज किए गए विदेशी मुद्रा उधारों का उल्लेख संविदागत दर पर किया गया है।
- 10.3 हेज न की गई विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाओं का पुनःमूल्यांकन वर्ष के अंत में एफईडीएआई/ एफबीआईएल द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर किया गया है। पुनः मूल्यांकन के परिणामस्वरूप अभिलाभ/ घाटे का निर्धारण लाभ और हानि खाते में ‘वायदा विनिमय संविदा लेखा के पुनःमूल्यांकन पर प्राप्त अभिलाभ/ घाटा’ शीर्ष के अंतर्गत किया गया है। प्रीमियम/ डिस्काउंट का लेखांकन पूरी संविदा अवधि के लिए किया गया है।

11. कर्मचारी लाभ

भारतीय रिजर्व बैंक से स्थानांतरित सभी कार्मिकों को बैंक का कर्मचारी माना गया है और तदनुसार कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान किए गए हैं। प्रत्येक तुलन-पत्र की तिथि पर दीर्घावधि कर्मचारी लाभों के लिए यथावश्यक रूप से बीमांकिक मूल्यांकन किया गया है।

- 11.1 **अल्पावधि कर्मचारी लाभ:**
कर्मचारियों हेतु अल्पावधि लाभ, जिनका भुगतान कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवाओं के बदले में अपेक्षित है, की अबष्टाकृत राशि का निर्धारण उसी अवधि के लिए किया गया है जिस अवधि में कर्मचारी ने सेवाएँ प्रदान की हैं।
- 11.2 **सेवानिवृत्ति पश्चात् लाभ:**
 - i) **निर्धारित अंशदान योजना**
उन सभी पात्र कर्मचारियों के लिए, जिन्होंने 31 दिसम्बर 2011 को या इससे पहले बैंक में कार्यभार ग्रहण किया है, बैंक में भविष्य निधि योजना है। इस योजना का प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक करता है। अंशदान उपचय के आधार पर मान्य किया जाता है।
बैंक ने उन सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना (एनपीएस) आरंभ की है जो 01 जनवरी 2012 को या उसके बाद बैंक की सेवा में आए हैं। बैंक ने पेंशन निधि विनियामक व विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा तैयार की गई एक निर्धारित अंशदान

योजना “एनपीएस - कांफॉरेट सेक्टर मॉडल” को अपनाया है। निधि में अंशदान उपचय आधार पर किया जाता है।

ii) निर्धारित लाभ योजना

- क) बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ग्रेजुएटों के लिए प्रावधान किया जाता है जो सभी पात्र कर्मचारियों के लिए अनुमानित इकाई ऋण पद्धति के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर किया जाता है। योजना के लिए निधि बैंक द्वारा प्रदान की जाती है और इसका प्रबंधन एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। बीमांकिक लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि लेखा में उपचय आधार पर दर्शाया जाता है।
- ख) 31 दिसम्बर 2011 को या उससे पहले बैंक में कार्यग्रहण करने वाले सभी पात्र कर्मचारियों की पेंशन के लिए प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है। इस योजना के लिए बैंक निधि प्रदान करता है और इसका प्रबंधन एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। बीमांकिक लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि लेखा में उपचय आधार पर दर्शाया जाता है।

iii) अन्य दीर्घावधि लाभ

बैंक के सभी पात्र कर्मचारी पारिश्रमिक के साथ अनुपस्थितियों के लिए पात्र हैं। बैंक के सभी पात्र कर्मचारी सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभों के लिए भी पात्र हैं। अन्य दीर्घावधि लाभों की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलन-पत्र की तिथि पर अनुमानित इकाई ऋण पद्धति से आकलित बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। बीमांकिक अभिलाभ या घाटे को लाभ और हानि लेखा में उपचय के आधार पर दर्शाया जाता है।

12. आय पर कर

- 12.1 चालू अवधि के लिए आय पर कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुरूप परिगणित कर-योग्य आय और कर जमाओं के साथ-साथ आकलनों/ अपीलों के संभावित परिणाम के आधार पर किया गया है।
- 12.2 आस्थगित कर की पहचान समयजन्य अंतर अर्थात् वर्ष के लिए कर-योग्य आय और लेखागत आय के बीच के अंतर के रूप में की गई है और इस राशि की गणना तुलन-पत्र की तिथि को लागू कर की दरों और अधिनियमित कानूनों के आधार पर की गई है।
- 12.3 अनवशोषित मूल्यहास/ व्यवसायगत हानियों से संबंधित आस्थगित आस्तियों की पहचान कर उन्हें उस सीमा तक आगे ले जाया गया है, जहाँ यह लगभग निश्चित हो जाए कि भविष्य में पर्याप्त कर-योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके समक्ष ऐसी आस्थगित कर आस्तियों की वसूली की जा सकेगी।
- 12.4 निधियों से अर्जित कर योग्य आय पर अदा किए गए कर/ प्रावधान किए गए कर की गणना संबंधित निधियों के व्यय के रूप में की गई है।

13. खंड रिपोर्टिंग

- 13.1 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक के अनुपालन में बैंक व्यवसाय खंड को रिपोर्टिंग का प्राथमिक खंड मानता है।
- 13.2 खंड राजस्व में, खंड से सीधे संबंधित/ खंड को आबंटन योग्य ब्याज और अन्य आय शामिल हैं।
जो आय संपूर्ण बैंक से संबंधित है और जिसे किसी खंड को आबंटित नहीं



क्रिया जा सकता उसे “अन्य आबंटित न की जा सकने योग्य बैंक आय” में शामिल किया गया है।

- 13.3 जो व्यय किसी खंड से सीधे संबंधित हैं/ किसी खंड को आबंटन-योग्य हैं, उनको खंड का परिणाम निर्धारित करने के लिए हिसाब में लिया गया है। ऐसे व्यय जिनका संबंध संपूर्ण बैंक से है और जिन्हें किसी खंड को आबंटित नहीं किया जा सकता, उनको “अन्य आबंटित न किए जा सकने योग्य व्यय” में शामिल किया गया है।
- 13.4 खंड आस्तियों और देयताओं में संबंधित खंड से सीधे जुड़ी आस्तियाँ और देयताएँ शामिल हैं। आबंटित न की जा सकने योग्य आस्तियों और देयताओं में वे आस्तियाँ और देयताएँ शामिल हैं जो संपूर्ण बैंक से संबंधित हैं और जिन्हें किसी खंड को आबंटित नहीं किया जा सकता।

14. आस्तियों की क्षतिग्रस्तता

- 14.1 प्रत्येक तुलन-पत्र की तिथि को आस्तियों की अंकित राशि की जांच क्षतिग्रस्तता के लिए की जाती है ताकि:
- क) यदि क्षतिग्रस्तताजन्य कोई हानि हुई हो, तो उसके लिए आवश्यक प्रावधान किया जा सके; अथवा
- ख) पिछली अवधियों में यथानिर्धारित क्षतिग्रस्तताजन्य हानि, यदि कोई हो, का प्रत्यावर्तन किया जा सके।
- 14.2 क्षतिग्रस्तताजन्य हानि तब मानी गई है जब किसी आस्ति की धारिता राशि उससे वसूली योग्य राशि से अधिक हो।

15. प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ

- 15.1 प्रावधानों के लिए केवल उन्हीं देयताओं को मान्य किया गया है जिनका आकलन वास्तविक अनुमानों का प्रयोग करते हुए किया जा सके यदि:
- क) किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप बैंक की कोई वर्तमान देयता है।
- ख) देयता के निस्तारण हेतु संसाधनों का बहिर्गमन संभावित है; और
- ग) देयता की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।
- 15.2 आकस्मिक देयता का निम्न मामलों में प्रकटन किया गया है:
- क) पिछली घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान देयता, जब इसकी संभावना न हो कि उस देयता को पूरा करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी,
- ख) कोई वर्तमान देयता, जब विश्वसनीय अनुमान संभव न हो, और
- ग) पिछली घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान देयता जहाँ संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना नगण्य हो।
- 15.3 आकस्मिक आस्तियों को न तो निर्धारित किया गया है और न ही उन्हें प्रकट किया गया है।
- 15.4 प्रत्येक तुलन-पत्र की तिथि पर प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों की समीक्षा की जाती है।

16. नकदी और नकदी समतुल्य

- क) नकदी प्रवाह विवरणियों के प्रयोजन के लिए नकदी और नकदी समतुल्यों में बैंकों में नकदी, हाथ में नकदी, बैंकों की मांग जमाराशियाँ तथा अन्य अल्पावधि निवेश शामिल हैं।
- ख) नकदी प्रवाह विवरण की रिपोर्टिंग अप्रत्यक्ष पद्धति से की जाती है। उपलब्ध सूचना के आधार पर परिचालन, वित्तपोषण और निवेश गतिविधि से नकदी प्रवाह को अलग-अलग किया गया है।

17. पूर्व अवधि की आय/ व्यय

पूर्व अवधि प्रकृति की आय/ व्यय मदों को केवल तभी अलग से प्रकट किया गया है जब एकल पूर्व अवधि आय/ व्यय सकल आय के 0.5% से ज्यादा हो।

18. भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन (भारतीय लेखा मानक)

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा दिनांक 18 जनवरी 2016 को जारी प्रेस विज्ञप्ति सं. 11/10/2009 सीएल-वी के अनुसार बैंक को 01 अप्रैल 2018 से प्रारंभ होने वाली लेखा अवधि के लिए भारतीय लेखा मानकों पर आधारित वित्तीय विवरण तैयार करना अपेक्षित होता है तथा 31 मार्च 2018 को समाप्त और उसके बाद की अवधि के लिए तुलनात्मक विवरण अपेक्षित हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के लिए भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है।

19. कोविड-19 का प्रभाव

- 19.1 पूरे विश्व में और भारत में कोविड -19 के प्रकोप के कारण देश में लगे आंशिक लॉकडाउन और सीमित आवाजाही के परिणामस्वरूप देश की आर्थिक गतिविधि पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इससे कई कारोबारों, विशेषकर बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्रों, में अवरोध उत्पन्न हुआ है और साथ-ही-साथ कृषि क्षेत्र में भी कई चुनौतियाँ उभरकर सामने आईं। कृषि क्षेत्र में ये चुनौतियाँ देश में रबी और खरीफ मौसम के चरम पर पहुँचने और फसल कटाई अथवा उनकी परिपक्वता अवधि के दौरान अधिक बढ़ गई थीं। यही वह समय होता है जब नामित सरकारी एजेंसियों द्वारा सुनिश्चित खरीद के लिए खेती की उपज मंडियों (मार्केट यार्ड) तक पहुँचती है।
- 19.2 बैंक प्रबंधन ने आंतरिक और बाह्य सूचनाओं पर विचार करते हुए वित्तीय स्थिति पर कोविड 19 के प्रभाव का आकलन किया, यह आकलन आगे की अवधि में आने वाली स्थितियों के अनुमान पर आधारित है।
- 19.3 वर्तमान में उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर, बैंक के प्रबंधन के अभिमत के अनुसार रिपोर्ट किए गए आँकड़ों और आस्तियों की क्षतिग्रस्तता पर कोविड-19 का प्रभाव बहुत अधिक नहीं होगा।

आ. लेखों के भाग के रूप में टिप्पणियाँ

1. केएफडब्ल्यू-जर्मन विकास बैंक के साथ हुए करार के अनुसार यूपीएनआरएम के अंतर्गत अभिवृद्धि/ आय तथा व्ययों को निधि में प्रभारित किया गया है। इस निधि से दिए गए ऋण को अन्य ऋण की श्रेणी में रखा गया है और इसका विवरण अनुसूची 11 में दिया गया है। यूपीएनआरएम संबंधी उधार को ‘अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से उधार’ की श्रेणी में रखा गया है और इसका विवरण अनुसूची 7 में दिया गया है। वर्ष के दौरान, निधि के अंतर्गत ₹16.98 करोड़ (₹21.67 करोड़) की राशि को लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया गया है, जिसमें ₹4.32 करोड़ की आय पर कुल ₹21.30 करोड़ व्यय शामिल हैं।



2. नाबार्ड भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक/ अन्य निकायों की ओर से बैंकर/ अभिरक्षक/ न्यासी के रूप में कार्य कर रहा है और उपर्युक्त निधियों को, संबंधित योजनाओं के संदर्भ में संवितरण/ उपयोग होने तक इन संस्थाओं की ओर से उनके द्वारा किए गए अंशदान की सीमा तक और अप्रयुक्त शेष राशियों पर उपचित ब्याज सहित, जहाँ भी लागू हो, रखता है। अप्रयुक्त शेष राशि पर उपचित ब्याज को तत्संबंधी करारों के अनुसार प्रबंधन/ निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित निधियों में जमा किया गया है। संबंधित निधियों के लिए ब्याज दरों का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	निधि का नाम	2022-23 के लिए ब्याज की दर	2021-22 के लिए ब्याज की दर
1.	वाटरशेड विकास निधि	3%	4%
2.	केएफडब्ल्यू - नाबार्ड आईजीडब्ल्यूडीपी (आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान)	3%	4%
3.	केएफडब्ल्यू सहबद्ध उपाय	3%	4%
4.	जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि	3%	4%
5.	जनजाति विकास निधि	3%	4%
6.	वित्तीय समावेशन निधि	3%	4%
7.	केएफडब्ल्यू-नाबार्ड-V आदिवासी विकास कार्यक्रम - गुजरात	3%	4%
8.	जलवायु परिवर्तन - (एएफबी) - परियोजना तैयारी अनुदान	3%	4%
9.	एलटीआईएफ ब्याज उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	3%	4%
10.	पीओडीएफ - आईडी	3%	4%
11.	जीसीएफ परियोजना अनुदान	3%	4%
12.	पशुधन विकास निधि (उत्तर प्रदेश और बिहार)	4.20%	6.12%
13.	गरीबी उन्मूलन के लिए बहु गतिविधि दृष्टिकोण (सुल्तानपुर और राय बरेली)	4.20%	6.12%
14.	सहकारी संस्थाओं में व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए केंद्र (सी-पेक)	4.20%	6.12%

3. भारत सरकार/ अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों (तुलन-पत्र की अनुसूची-13 देखें) से वसूली योग्य राशि में ₹2.81 करोड़ (₹4.41 करोड़) की राशि शामिल है जो विभिन्न निधियों के नामे शेष की राशि है। इन निधियों का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	निधि का नाम	31-03-2023	31-03-2022
1	केएफडब्ल्यू - यूपीएनआरएम - सहबद्ध उपाय	0.07	0.03
2	केएफडब्ल्यू - मृदा परियोजना	1.66	4.38
3	एनएएफसीसी	1.08	0.00

4. विविध लेनदार में ₹ 0.00 करोड़ (₹ 30.48 करोड़) की राशि शामिल है जो सूक्ष्म वित्त विकास और इक्विटी निधि (एमएफडीआईएफ) में अंशदाताओं को दिए जाने के लिए बकाया है।
5. वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रखी गई ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) जमाराशियों, भंडारागार आधारभूत संरचना विकास निधि (डब्ल्यूआईएफ) जमाराशियों और खाद्य प्रसंस्करण निधि के संबंध में बैंक के पास सापेक्षिक मार्जिन के रूप में उपलब्ध 0.5 प्रतिशत से अधिक की राशि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसरण में जलवायु परिवर्तन निधि - ब्याज विभेदक (सीसीएफ-आईडी) और वित्तीय समावेशन निधि में जमा की गई।
6. विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त/ प्राप्य ब्याज सहायता को अनुसूची 14 के अंतर्गत ब्याज और वित्तीय प्रभारों से समायोजित किया गया है। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत समायोजित ब्याज सहायता राशि का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	योजना	2022-23	2021-22
1	दीर्घावधि सिंचाई निधि	524.80	506.48
2	मौसमी कृषि परिचालन (मौकृप)	(944.73)	(1012.70)
3	डेयरी प्रसंस्करण और आधारभूत संरचना विकास निधि (डीआईडीएफ)	21.59	20.55
4	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)	9.18	10.64
5	सूक्ष्म सिंचाई निधि (एमआईएफ)	64.68	59.29
6	मत्स्यपालन और जलचरपालन आधारभूत संरचना विकास निधि (एफआईडीएफ)	11.27	6.53

7. ब्याज सहायता योजना के अंतर्गत मौसमी कृषि परिचालन हेतु प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और एनआरएलएम योजना के वित्तपोषण के लिए रास बैंकों, क्षेत्रा बैंकों और जिमस बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पुनर्वित्त संवितरण पर प्राप्त ब्याज मार्जिन की गणना ब्याज आय के रूप में की गई है। भारत सरकार से इस योजना के अंतर्गत ₹112.95 करोड़ (₹87.95 करोड़) की राशि प्राप्त/ प्राप्य है।
8. वर्ष के दौरान बैंक ने लेखा मानक 22 “आय पर करों का लेखांकन” के अनुसरण में, ₹3.89 करोड़ [(-) ₹30.85 करोड़] की आस्थगित कर देयता (आस्ति) को लाभ और हानि खाते में दर्शाया है। 31 मार्च 2023 की स्थिति में कुल आस्थगित कर आस्ति का विवरण निम्नानुसार है :

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	योजना	31-03-2023	31-03-2022
1	भुगतान के आधार पर अनुमन्य प्रावधान	148.78	147.26
2	अचल आस्तियों पर मूल्यहास	16.23	16.68
3	अन्य	22.83	27.88
	कुल	187.84	191.82

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष प्रारक्षित निधि के तहत आस्थगित कर के लिए प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि बैंक ने उक्त प्रारक्षित निधि आहरित न करने का निर्णय लिया है.

9. वित्त वर्ष 2022-23 के अंत में विभिन्न प्राधिकारियों के समक्ष लंबित आय कर अपीलों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्रम. सं.	कर निर्धारण वर्ष	किस प्राधिकरण के पास अपील लंबित है	अपील किसके द्वारा की गई	विवादित राशि (₹ करोड़) 31-03-2023 की स्थिति	विवादित राशि (₹ करोड़) 31-03-2022 की स्थिति
1	2002-03	उच्च न्यायालय - मुंबई	आयकर विभाग	415.00	415.00
2	2006-07	उच्च न्यायालय - मुंबई	आयकर विभाग	115.52	115.52
3	2008-09	उच्च न्यायालय, मुंबई	आयकर विभाग	118.77	118.77
4	2009-10	उच्च न्यायालय, मुंबई	आयकर विभाग	194.82	194.82
5	2010-11	उच्च न्यायालय, मुंबई	नाबार्ड	28.20	0.00
6	2010-11	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	नाबार्ड	0.00	28.20
7	2010-11	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	आयकर विभाग	0.00	215.31
8	2011-12	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	नाबार्ड	51.07	51.07
9	2011-12	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	आयकर विभाग	287.62	287.62
10	2012-13	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	नाबार्ड	45.63	45.63
11	2012-13	आयकर आयुक्त (अपील)	आयकर विभाग	327.03	327.03
12	2012-13	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	नाबार्ड	25.55	25.55
13	2013-14	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	नाबार्ड	1.70	1.70
14	2013-14	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	आयकर विभाग	380.05	380.05
15	2014-15	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	आयकर विभाग	450.61	450.61
16	2015-16	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	आयकर विभाग	448.87	448.87
17	2016-17	आयकर आयुक्त (अपील)	नाबार्ड	407.23	407.23
18	2017-18	आयकर आयुक्त (अपील)	नाबार्ड	360.69	360.69
19	2018-19	आयकर आयुक्त (अपील)	नाबार्ड	278.52	278.52
20	2019-20	आयकर आयुक्त (अपील)*	नाबार्ड	0.00	277.92
21	2020-22	आयकर आयुक्त (अपील)	नाबार्ड	74.21	0.00

* सीआईटी (अ) ने एक आंशिक रूप से अनुकूल आदेश जारी किया है. हम आईटीएटी में एक अपील दर्ज करने की प्रक्रिया में है.

- पूर्ण स्वामित्व की भूमि तथा पट्टाकृत भूमि और परिसर में कार्यालय परिसर और स्टाफ क्वार्टर्स के लिए ₹14.00 करोड़ (₹14.00 करोड़) की राशि का भुगतान शामिल है जिसका हस्तांतरण किया जाना अभी बाकी है. गुंटूर में कार्यालय के लिए प्लॉट के मामले में, हस्तांतरण विलेख का निष्पादन लंबित है; प्लॉट अधिग्रहण के लिए अदा की गई कुल राशि ₹6.83 करोड़ (₹6.83 करोड़) है. छत्तीसगढ़ में जिस प्लॉट के हस्तांतरण विलेख का पंजीकरण वर्ष 2021-22 में लंबित था, उसे निष्पादित किया गया और उसका पंजीकरण किया गया.
- बैंक प्रबंधन के मतानुसार आस्तियों में कोई ऐसी क्षतिग्रस्तता नहीं है जिस पर लेखा मानक 28 - "आस्तियों में क्षतिग्रस्तता" लागू हो और जिसके लिए किसी प्रावधान की अपेक्षा हो.
- भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसरण में, राज्य सहकारी बैंकों तथा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा जारी विशेष विकास डिबेंचरों

(एसडीडी) की खरीद के माध्यम से इन एजेंसियों को प्रदत्त परियोजना ऋणों की निम्नानुसार गणना की गई है:

- निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है और 'डिबेंचर और बॉण्ड' शीर्ष के अंतर्गत अनुसूची 10 में दर्शाया गया है'.
 - एसडीडी पर अर्जित ब्याज लाभ हानि लेखा में 'ऋण एवं अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज' के भाग के रूप में दर्शाया गया है और उसे 'अनुमन्य अग्रिम' माना गया है.
 - 'आईआरएसी मानदंड, पूंजी पर्याप्तता और अनुपातों की गणना इत्यादि के प्रयोजन से 'अनुमन्य अग्रिम'.
- वित्तीय विवरणियों की तिथि को चालू आरआईडीएफ खेपों (XXII से XXVIII) के तहत विभिन्न राज्य सरकारों को दिए गए सवितरण में से ₹659.51 करोड़ (₹506.20 करोड़) की राशि नॉन-स्टार्टर परियोजनाओं से संबंधित है. संबंधित/ अन्य परियोजनाओं के साथ राशि के समायोजन के



लिए राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होने तक इस राशि को निधि से संवितरण के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

14. दिनांक 18 फरवरी 2016 की केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के तहत नाबार्ड को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (15) (iv) (एच) के तहत ₹5,000 करोड़ की राशि के कर मुक्त बाण्ड जारी करने की अनुमति दी गई थी। तदनुसार 10 वर्ष की अवधि में प्रतिदेय ₹1500 करोड़ प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए तथा 10 और 15 वर्ष की अवधि में प्रतिदेय ₹3,500 करोड़ पब्लिक इश्यू के माध्यम से जुटाए गए। ये कर मुक्त बाण्ड, सुरक्षित, प्रतिदेय और गैर-परिवर्तनीय प्रकृति के हैं। ये बाण्ड मुंबई में स्थित संपत्ति पर समरूप प्रभार के समक्ष सुरक्षित हैं और नाबार्ड की निर्दिष्ट बही ऋण पर पहला प्रभार हैं। चालू वर्ष के लिए इन बाण्डों से संबंधित राजस्व के लिए प्रभारित ब्याज ₹365.41 करोड़ (₹365.54 करोड़) है।

डिबेंचर ट्रस्टी का विवरण निम्नानुसार है:

एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड,

द रूबी, द्वितीय तल, एसडब्ल्यू

29, सेनापति बापट मार्ग,

दादर पश्चिम, मुंबई- 400028

टेलीफोन: +91 22 6230 0451

15. उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ) में निवेश के संदर्भ में विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों पर भारतीय रिजर्व बैंक के 01 जुलाई 2015 के परिपत्र सं.आरबीआई/ 2015-16/ 104 डीबीआर.सं.एफआईडी.एफआईसी.3/ 01.02.00/ 2015-16 के अनुसार, वीसीएफ की इकाइयों में निवेशित ₹24.95 करोड़ (₹21.55 करोड़) की राशि को 3 वर्ष पूर्ण होने पर एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में अंतरित किया गया।
16. क) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेशों के अंतर्गत निम्नलिखित उधारों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड के पास गिरवी प्रतिभूतियाँ शामिल हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	अंकित मूल्य	बही मूल्य
व्यवसाय खंड के लिए गिरवी (प्रतिभूतियाँ)	177.00 (765.00)	176.66 (814.93)
व्यवसाय खंड के लिए गिरवी (सीबीएलओ/ त्रिपक्षीय रेपो)	21690.15 (25918.05)	22822.95 (27460.48)
व्यवसाय खंड के लिए गिरवी (प्रतिभूतियाँ) डिफाल्ट फंड	50.00 (50.00)	51.75 (51.75)
व्यवसाय खंड के लिए गिरवी (सीबीएलओ/ त्रिपक्षीय रेपो) डिफाल्ट फंड	50.00 (50.00)	51.75 (51.75)

- ख) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश में अंतर्दिवसीय सीमा के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति सुरक्षा के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पास गिरवी रखी गई निम्नलिखित प्रतिभूतियाँ शामिल हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	अंकित मूल्य	बही मूल्य
अंतरदिवसीय सीमा के लिए गिरवी (प्रतिभूतियाँ)	527.00 (0.00)	545.54 (0.00)

17. मानक आस्तियों हेतु प्रावधान

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2022-23	2021-22
वर्ष के दौरान मानक आस्तियों के लिए किया गया प्रावधान	206.21	155.59

18. काउंटरसाइकिलकल प्रोविजनिंग बफर

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	2022-23	2021-22
(क)	अस्थिर प्रावधान खाते में अथ शेष	2014.44	1264.44
(ख)	लेखा वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान की प्रमात्रा #	0.00	750.00
(ग)	लेखा वर्ष के दौरान ड्रॉडाउन की राशि	0.00	0.00
(घ)	अस्थिर प्रावधान खाते में इति शेष	2014.44	2014.44

* यह अग्रिमों के लिए अस्थिर प्रावधानों को दर्शाता है जिनका उपयोग टियर II पूंजी के रूप में नहीं किया गया है।

बैंक के निदेशक मण्डल ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अस्थिर प्रावधान सृजित करने का निर्णय लिया जिसका उपयोग अप्रत्याशित अथवा असाधारण परिस्थितियों में किया जा सके।

19. दिनांक 23 जून 2016 के भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देश (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के वित्तीय विवरण - प्रस्तुति, प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग निर्देश 2016) के अनुसरण में वित्तीय संस्थाओं द्वारा जो प्रकटीकरण दिए जाने आवश्यक हैं उन्हें इस समूह के समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रासंगिक नहीं माना गया है और इसलिए उन्हें नोट्स में शामिल नहीं किया गया है।
20. चार सहायक संस्थाओं के मामले में, मूल्यहास की गणना अवलिखित मूल्य विधि से की गई है और इसे सीधी रेखा विधि के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों में समायोजित नहीं किया गया है। समेकित वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है।
21. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान नैबफिन्स के कर्मचारियों और कुछ व्यवसाय और विकास कॉरिसपांडेन्ट्स ने ₹0.44 करोड़ का गबन किया था, जिसमें से 31 मार्च 2023 की स्थिति में ₹0.24 करोड़ की राशि की वसूली की गई है और वसूली न की गई राशि के लिए आवश्यक प्रावधान किया गया है।
22. **आयकर प्रावधान - पिछले वर्षों के लिए समायोजन**
- i) **वित्तीय वर्ष 2001-02:** नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 55 को 01 अप्रैल 2002 से निरस्त कर दिया गया था, जिसके कारण 01 अप्रैल 2002 से नाबार्ड की आय पर आयकर लागू हो गया था। 31-



03-2002 तक नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 55 की प्रयोज्यता के कारण वित्तीय वर्ष 2001-02 से संबंधित निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए जब आयकर रिटर्न दायर किया गया था तो वह विरोध के तहत किया गया था और भुगतान किए गए पूरे कर की वापसी का दावा भी किया गया था. विरोध के तहत भुगतान किए गए कर के लिए निर्धारण अधिकारी के निर्धारण आदेश के विरुद्ध बैंक ने सीआईटी (अपील) के समक्ष अपील दर्ज की थी. सीआईटी (अपील) ने इस मामले में विभाग के पक्ष में फैसला लिया और बैंक ने आय कर अपील न्यायाधिकरण (आईटीएटी) के समक्ष अपील दर्ज की. आईटीएटी मुंबई ने इस मामले पर विधिवत विचार किया, और यह फैसला किया कि नाबार्ड वित्तीय वर्ष 2001-02 के लिए आयकर भुगतान हेतु उत्तरदायी नहीं है. तदनुसार, वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2001-02 के लिए ₹358.28 करोड़ की राशि वापस की, जिसमें से ₹324.02 करोड़ आय कर की राशि है और ₹ 34.26 करोड़ ब्याज की. यह एक एकल, विशेष मामला है जिसकी विभिन्न वित्तीय वर्षों से लंबित अन्य अपीलों के साथ तुलना नहीं की जा सकती, जिसकी विषय वस्तु अलग है, जहाँ आय कर रीफंड, कराधान के लिए प्रावधान, अग्रिम कर को लाभ और हानि खाते में कोई समायोजन के बिना खाता बहियों में जारी रखा गया है. आईटीएटी के इस आदेश से स्पष्ट है कि चूँकि नाबार्ड अधिनियम 1981 की धारा 55 को 01-04-2002 से निरस्त किया गया है, इसलिए आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए निर्धारिती की आय पर आय कर देय नहीं होगा. संसद के अधिनियम द्वारा सृजित अन्य वित्तीय संस्थाओं के संबंध में इसी विषय वस्तु की प्रयोज्यता पर ऐसे अन्य न्यायिक फैसले किए गए हैं जो उस वित्तीय संस्था के पक्ष में थे. तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2001-02 के लिए ₹358.28 करोड़ के आयकर रिफंड को लाभ और हानि खाते में अन्य प्राप्ति में दर्ज किया गया है, जिसमें से ₹34.26 करोड़ ब्याज राशि के रूप में और ₹324.02 करोड़ आय कर के रूप में है. इसे लाभ और हानि खाते में पिछले वर्षों के आयकर के रूप में समायोजित किया गया है.

आयकर विभाग ने आईटीएटी आदेश के विरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालय में अपील दायर की है. अतः, ₹369.29 करोड़ के कथित कर को आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया गया है.

ii) वित्तीय वर्ष 2002-03 से वित्तीय वर्ष 2004-05 तक: वित्तीय वर्ष 2002-03 से वित्तीय वर्ष 2004-05 तक के संबंध में किसी भी फोरम में अपील के अंतर्गत कोई भी मामला लंबित नहीं है और इसलिए इन

वर्षों के लिए अतिरिक्त/ कम प्रावधान को लाभ और हानि खाते में रिवर्स कर दिया गया है.

23. कर्मचारियों को प्रदत्त एलटीसी लाभ को तभी लेखाबद्ध किया जाता है जब कर्मचारियों द्वारा इसका लाभ उठाया जाता है.
24. वर्ष के दौरान, बैंक ने नवंबर, 2022 से प्रभावी वेतन समझौते के लिए अनुमानित आधार पर ₹75.17 करोड़ की राशि को लेखाबद्ध किया गया है.
25. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान अनर्जक आस्ति के रूप में चिह्नित आस्तियों में से एक आस्ति में बकाया ₹819.26 करोड़ की राशि हेतु शत प्रतिशत प्रावधान किया गया, जिसमें से 50% प्रावधान लाभ और हानि खाते में नामे किया गया और शेष राशि ₹409.63 करोड़ का प्रारक्षित निधि से आहरण किया गया और उसे अनुसूची-1 «प्रारक्षित निधि और अन्य निधियाँ» में दर्शाया गया. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान इस राशि को पुनः प्रारक्षित निधि में जोड़ दिया गया है.
26. लाभ और हानि लेखा में शामिल पूर्व अवधि मदें निम्नानुसार हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	2022-23	2021-22
1.	आय	0.00	0.00
2.	राजस्व व्यय	0.00	0.00
	कुल	(0.00)	(0.00)

27. **लेखा मानक 18- संबंधित पार्टी प्रकटीकरण**

चूँकि एएस-18 'संबंधित पार्टी प्रकटीकरण' के अर्थ में यह बैंक राज्य द्वारा नियंत्रित उद्यम है, अतः अन्य राज्य नियंत्रित उद्यमों के साथ लेन-देन का विवरण नहीं दिया गया है.

संबंधित पार्टियों की सूची :

27.1 प्रमुख प्रबंधन कार्मिक:

पार्टी का नाम	पदनाम
डॉ. जी आर चिंतला (जुलाई 2022 तक)	अध्यक्ष
श्री सुचिन्द्र मिश्र (अगस्त 2022 से दिसंबर 2022 तक)	अध्यक्ष
श्री शाजी के वी (दिसंबर 2022 से)	अध्यक्ष
श्री शाजी के वी (नवंबर 2022 तक)	उप प्रबंध निदेशक
श्री पी वी एस सूर्यकुमार	उप प्रबंध निदेशक



27.2 मुख्य प्रबंधन पदाधिकारियों के साथ लेन-देन:

(राशि ₹ करोड़ में)

पक्ष का नाम	संबंध का स्वरूप	लेन-देन का स्वरूप	वर्ष के दौरान लेन-देन की राशि		बकाया	
			2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
डॉ. जी आर चिंतला	मुख्य प्रबंधन पदाधिकारी (अध्यक्ष)	अनुलब्धियों सहित पारिश्रमिक	0.38	0.67	0.00	0.00
श्री शाजी के वी	मुख्य प्रबंधन पदाधिकारी (अध्यक्ष)	अनुलब्धियों सहित पारिश्रमिक	0.37	0.00	0.00	0.00
श्री शाजी के वी	मुख्य प्रबंधन पदाधिकारी (उप प्रबंध निदेशक)	अनुलब्धियों सहित पारिश्रमिक	0.44	0.51	0.00	0.00
श्री पी वी एस सूर्यकुमार	मुख्य प्रबंधन पदाधिकारी (उप प्रबंध निदेशक)	अनुलब्धियों सहित पारिश्रमिक	0.78	0.60	0.00	0.00

संबंधित पार्टियों के संबंध में वर्ष के दौरान कोई भी राशि राइटआफ/प्रतिलिखित नहीं की गई अथवा उनके लिए प्रावधान नहीं किया गया। संबंधित पार्टियों से जुड़े संबंधों को प्रबंधन द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है।

28. व्यवसाय खंड के बारे में सूचना

क) संक्षिप्त पृष्ठभूमि

बैंक के मान्यताप्राप्त प्राथमिक व्यवसाय खंड निम्नानुसार हैं:

- प्रत्यक्ष वित्तपोषण: इसमें ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों को दिए गए ऋण, सह-वित्तपोषण ऋण और स्वैच्छिक एजेंसियों/ गैर सरकारी संगठनों को विकास गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण तथा सहकारी बैंकों आदि को दिए गए अन्य प्रत्यक्ष ऋण शामिल हैं।

- पुनर्वित्त: इसमें राज्य सरकारों, वाणिज्यिक बैंकों, रासकृग्रावि बैंकों, रास बैंकों, क्षेत्रीय बैंकों आदि द्वारा अंतिम उधारकर्ताओं को दिए गए ऋणों के समक्ष पुनर्वित्त के रूप में दिए गए ऋण और अग्रिम शामिल हैं।

- ट्रेजरी: इसमें ट्रेजरी बिलों, अल्पावधि जमाओं, सरकारी प्रतिभूतियों, आदि में निधियों का निवेश शामिल है।

- उपर्युक्त तीन प्राथमिक खंडों के अलावा अन्य खंड 'अन्य व्यवसाय' खंड के अंतर्गत हैं। प्रत्यक्ष आय और प्रत्यक्ष व्यय के आधार पर तीन प्राथमिक खंडों के परिणामों का पता लगाने के बाद, आबंटन के लिए/ देनदारियों/ आस्तियों सहित शेष राशि को «अन्य व्यवसाय» के तहत समूहीकृत किया गया है।

ख) प्राथमिक व्यवसाय खंड संबंधी सूचना

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	ट्रेजरी		पुनर्वित्त		प्रत्यक्ष ऋण		अन्य व्यवसाय		कुल	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
व्यवसाय खंड										
राजस्व	2749.93	3119.69	19663.31	16780.81	17201.50	17149.75	235.63	124.93	39850.37	37175.18
परिणाम	161.62	2688.57	5618.98	3689.86	2713.11	3442.03	(1692.32)	(2981.18)	6801.39	6839.29
अनाबंटित व्यय									0.00	0.00
परिचालन लाभ									6801.39	6839.29
आय पर कर									1247.12	1644.71
असाधारण लाभ/हानि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल लाभ									5554.27	5194.58
अन्य सूचनाएँ										
खंड आस्तियाँ	57335.46	70331.40	395164.08	370527.55	339846.93	313264.90	10509.85	4345.54	802856.31	758469.38

विवरण	ट्रेजरी		पुनर्वित्त		प्रत्यक्ष ऋण		अन्य व्यवसाय		कुल	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
खंड देयताएँ	91083.64	144580.58	302270.88	312546.49	331455.72	222880.30	78046.07	78462.00	802856.31	758469.38
अनाबंटित आस्तियाँ									0.00	0.00
कुल आस्तियाँ									802856.31	758469.38
अनाबंटित देयताएँ									0.00	0.00
कुल देयताएँ									802856.31	758469.38

ग) चूँकि बैंक के परिचालन केवल भारत तक सीमित हैं, अतः रिपोर्ट करने योग्य कोई भी द्वितीयक खण्ड नहीं है.

29. कोष्ठक में इंगित आँकड़े पिछले वर्ष के हैं.
30. जहाँ भी आवश्यक है, पिछले वर्ष के आँकड़ों का पुनःसमूहन/पुनःव्यवस्थापन किया गया है.

इसी तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एमकेपीएस एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफ़आरएन सं: 302014E

सीए वासुदेव सुंदरदास माटा
साझेदार
सदस्यता संख्या: 046953

अलोक सी जेना
मुख्य महाप्रबंधक
लेखा विभाग, मुंबई

दिनांक : 26 मई 2023

शाजी के वी
अध्यक्ष

पीवीएस सूर्यकुमार
उप प्रबंध निदेशक



राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2022-23	2021-22
(क) परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
लाभ और हानि खाते के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ	6,810.22	6,838.29
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
मूल्यहास	54.30	53.82
प्रावधान और परिशोधन	1.54	0.79
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	339.37	424.47
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	204.11	112.69
अस्थिर प्रावधान	-	750.00
निवेश खाते के मूल्य में हास - इक्विटी	(10.64)	10.64
पुनर्निर्धारित ऋण के ब्याज को छोड़ने का प्रावधान	-	-
अचल आस्तियों की बिक्री से लाभ/ हानि	(1.46)	(1.10)
विभिन्न निधियों में जमा ब्याज (विभेदक ब्याज निधि में वृद्धि/ समायोजन सहित)	279.85	379.14
अन्य व्यय	11.85	7.99
निवेश से आय (डिस्काउंट से आय सहित)	(2,700.34)	(3,053.04)
परिचालन आस्तियों में परिवर्तन के पहले परिचालन लाभ	4,988.80	5,523.69
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के लिए समायोजन:		
चालू आस्तियों में (वृद्धि)/ कमी	(4,350.93)	(790.52)
चालू देयताओं में वृद्धि/ (कमी)	903.76	3,484.38
ऋणों और अग्रिमों में (वृद्धि)/ कमी (स्टाफ को आवास ऋण और अन्य अग्रिमों सहित)	(52,426.72)	(78,988.61)
परिचालन गतिविधियों से सृजित नकदी	(50,885.09)	(70,771.06)
आय कर का भुगतान-रिफंड को घटाकर	(922.97)	(1,936.62)
परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (अ)	(51,808.06)	(72,707.68)
(ख) निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		
निवेश से आय (डिस्काउंट आय सहित)	2,700.36	3,053.04
अचल आस्तियों की खरीद	(37.77)	(46.01)
अचल आस्तियों की बिक्री	7.13	8.02
निवेश में वृद्धि/ कमी	17,236.67	(20,944.61)
निवेश गतिविधियों में प्रयोग की गई/ सृजित निवल नकदी (आ)	19,906.39	(17,929.56)
(ग) वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
प्राप्त अनुदान/अंशदान	(4,950.51)	2,256.79
ब्याज पर व्यय	(0.37)	(0.39)
बॉण्डों से प्राप्त राशि	16,084.55	34,710.31
उधारों में वृद्धि/(कमी)	579.45	42,080.04
जमाराशियों में वृद्धि/ (कमी)	25,974.18	10,554.58
प्रारक्षित निधि से आहरण	389.31	(409.63)
लाभांश पर कर सहित लाभांश का भुगतान	(9.95)	(0.10)
शेयर पूंजी में वृद्धि	45.00	2,086.58
वित्तपोषण गतिविधियों से जुटाई गई निवल नकदी (इ)	38,111.66	91,278.18



विवरण	2022-23	2021-22
नकदी और नकदी समकक्ष में निवल वृद्धि (अ)+(आ)+(इ)	6,209.99	640.94
वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समकक्ष	2,121.35	1,480.41
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष	8,331.34	2,121.35

1. वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष राशियों में शामिल हैं:	2022-23	2021-22
हाथ में रोकड़	-	-
भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष राशियाँ	4,800.93	363.60
भारत में अन्य बैंकों के पास शेष राशियाँ	3,130.41	1,757.75
मार्गस्थ विप्रेषण	400.00	-
कुल	8,331.34	2,121.35

नोट:

1. अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके नकदी प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है.
2. बैंकों के पास रखी गई माँग जमाराशियों को निवेश के तहत दर्शाया गया है.
3. समेकित नकदी प्रवाह विवरण सहायक संस्थाओं के आई-जीएएपी वित्तीय विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है.

इसी तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एमकेपीएस एंड एसोसिएट्स
 चार्टर्ड अकाउंटेंट
 एफ़आरएन सं.: 302014E

सीए. वसुदेव सुंदरदास माटा
 साझेदार
 सदस्यता संख्या: 046953

अलोक सी. जेना
 मुख्य महाप्रबंधक
 लेखा विभाग मुंबई

मुंबई
 दिनांक: 26 मई 2023

शाजी के वी
 अध्यक्ष

पी वी एस सूर्यकुमार
 उप प्रबंध निदेशक

